



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), E-mail ID- academicprsu@gmail.com

क्रमांक : 3092 / अका. / 2016

रायपुर, दिनांक : 14/12/2016

॥ अधिसूचना ॥

दानदाता डॉ. रामचन्द्र सिंह देव के द्वारा Shri Nripendra Narayan Singh Deo के सम्मान में स्वर्ण पदक **Late Shri Nripendra Narayan Singh Deo (Korea) Memorial Gold Medal** की स्थापना से संबंधित विनियम को, विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.11.2016 में, अनुमोदित किया गया है। यह स्वर्ण पदक सत्र 2015-16 से विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विश्वविद्यालय की बी.ए.एलएल.बी. (B.A.LL.B.) की परीक्षा में प्रावीण्य सूची में प्रथम प्रयास में प्रथम स्थान प्राप्त अभ्यर्थी को आगामी स्वर्ण पदक अलंकरण समारोह या दीक्षांत समारोह में प्रदान किया जाएगा। विनियम क्रमांक 171 की स्थापना निम्नानुसार की गई है-

**Regulation No. - 171
(E.C. Under 24-11-2016)**

"LATE SHRI NRIPENDRA NARAYAN SINGH DEO (KOREA) MEMORIAL GOLD MEDAL"

Donor - **Dr. Ramchandra Singh Deo**
Former Finance Minister, Chhattisgarh,
House No. - HIG D.D.-106,
Near Shiv Mandir, Moulshri Vihar Road,
Puraina, Raipur (C.G.)
Mob. No. - 094255-05575
074150-05575

Value of Endowment - **Rs. 60,000.00**
(Rs. Sixty Thousand Only)
No. Gbk-1092 Dated- 10 Nov.-2016

Award - **One Gold Medal**

1. The Endowment shall be called "**LATE SHRI NRIPENDRA NARAYAN SINGH DEO (KOREA) MEMORIAL GOLD MEDAL**" and it shall be inscribed on one side of the Medal.
2. The net income accruing from endowment every year shall be utilized for the award of Gold Medal at the annual convocation of the University to the Student who secures highest percentage of marks in **BALLB** Examination of the Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, provided that the candidate has passed the examination in the first attempt.
3. In the event of two or more examinees being eligible for the award under the provisions of para-2, one who is younger or youngest in age, shall be awarded gold medal.
4. The award of Gold Medal shall be effective from examination **2015-2016**.

आदेशानुसार,



कुलसचिव

पू. क्रमांक : 3093 / अका. / 2016

रायपुर, दिनांक : 14/12/2016

प्रतिलिपि :

- 01 आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
02. Dr. Ramchandra Singh Deo, Former Finance Minister, Chhattisgarh, House No. -
HIG D.D.-106, Near Shiv Mandir, Moulshri Vihar Road, Puraina, Raipur (C.G.)
03. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
- 04 प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
05. समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
06. उ.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय/विकास/उ.कु.स. सामान्य प्रशासन/वित्त नियंत्रक,
07. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ. ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), E-mail ID- academicprsu@gmail.com

क्रमांक **A224**/अका./2017

रायपुर, दिनांक **07**/06/2017

II अधिसूचना II

एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.05.2017 में की गई अनुशंसा, कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 22.05.2017 में **Regulation No. 172 Admission of foreign students** में अनुमोदन किया गया जो निम्नांकित है:-

Regulation No. 172

(E.C. Under 22-05-2017)

(Admission of foreign students)

For admission of foreign students at Pandit Ravishankar Shukla University, Raipur, Chhattisgarh, India

01. **Definition of foreign student:**
A foreign student is one who holds a foreign passport or has dual citizenship.
02. **Categories of foreign students:**
 - (a) Self-financing student
 - (b) Student coming through Cultural Exchange Fellowship Programs (Indian Council for Cultural Relations [ICCR], Government of India)
03. **Application Form(s):**
Application forms for all academic programs can be downloaded from the University's website: www.prsu.ac.in
04. **General Guidelines:**
The foreign student must have an appropriate Student Visa or Research Visa for the study program. The applicant should contact the Indian Embassy or High Commission in his/her home country for more information on the type of visa needed. In case of students from restricted countries (Afghanistan, China, Iran, Pakistan, Iraq and Sudan), the application MUST be forwarded through the Indian Embassy or the High Commission in their respective countries. Candidates seeking admission under a Cultural Exchange Fellowship program are required to apply through the Indian High Commission/Embassy in their respective countries. Student may browse through the following website for visa related information:
<http://www.immigrationindia.nic.in/index.htm>
05. **Language of Instruction:**
ENGLISH will be the only language for teaching and research, except for courses related to languages, such as Hindi, Chhattisgarhi, etc.
06. **Eligibility certificate:**
The admission of the foreign students will be finalized only after establishing their eligibility for the course applied. The fee for eligibility certificate is US\$ 100/-.
07. **Fee structure:**
A foreign student is required to pay the fees at the time of admission, as per the details given elsewhere [**Please refer prospectus**]. The payment could be made either in US Dollars (USD) or Indian Rupees (INR). The payment could also be made through wire transfer to the account of the Registrar, Pandit Ravishankar Shukla University. The bank account details can be obtained on request from the Registrar, Pandit Ravishankar Shukla University, Raipur, India. *The fees are liable to revision and the students will have to pay the revised fees as and when applicable.*
08. **Hostel Accommodation:**
There are limited hostel accommodations available on the campus. Therefore, a foreign student desirous of taking on campus accommodation shall have to apply separately in a prescribed hostel admission form [details of the hostel fee are mentioned in the table]. The accommodation will be provided on first come first serve basis.

09. Offer of Admission:

Offer letter for admission to the University Teaching Department and hostel will be communicated to the foreign students through email/ postal mail.

Offer will be made based on recommendations received from the University Teaching Department. The student will be informed by email and postal mail. Students applying through ICCR will be intimated through ICCR.

10. Admission Procedures for Self-Financing Student:

The application form with copies of supporting documents should be sent to the particular head of the University Teaching Department in which the foreign student wants to take admission (the contact address could be obtained from the university's website: www.prsu.ac.in). To expedite the processing, a copy of the application form and scanned copies of the supporting documents should also be sent by email to registrarprsu@gmail.com

11. Supporting documents required at the time of admission:

- Academic transcripts (with explanation of assigned grades)
- Two recommendation letters, one from a faculty member who has taught the applicant earlier and another from the authorities of the academic institution where the applicant may have studied prior to seeking admission to Pandit Ravishankar Shukla University, Raipur, India.
- Scanned copy of relevant passport pages showing nationality and personal details
- Statement of purpose (in about 500 words)
- MEDICAL FITNESS CERTIFICATE from a doctor attesting to their physical and medical fitness. Medical insurance is advisable for the entire duration of the course.
- Two (2) passport size color photographs

12. Selection Committee Recommendation:

The department concerned will constitute a selection committee (case to case basis) with at least 3 (three) members headed by "Head of the department". Admission offers will be made based on the recommendation of the department.

13. Examination and Award of degree:

The procedure for examination, issue of mark sheet, issue of passing certificates and degree will be same as for the Indian student of Pandit Ravishankar Shukla University.

14. Dispute:

If any dispute arises regarding the interpretation of any provision of this regulation or on matters and situations not covered by this REGULATION, the matter shall be referred to the Vice Chancellor, Pandit Ravishankar Shukla University, whose decision thereon shall be final and binding.


कुलसचिव

पृ.क्रमांक 4225/अका./2017
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 07/06/2017

- माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर
- सचिव, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन मंत्रालय, नया रायपुर
- सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग महानदी भवन मंत्रालय, नया रायपुर
- आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
- अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/प्राचार्य, सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
- समस्त विभागीय अधिकारी,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), E-mail ID- academicprsu@gmail.com

क्रमांक 4946 / अका./2017

रायपुर, दिनांक 21 /09/2017

II अधिसूचना II

एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 24.08.2017 में की गई अनुशंसा का कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 24.08.2017 में विनियम (CREDIT FRAMEWORK FOR ONLINE LEARNING COURSES THROUGH SWAYAM) का अनुमोदन किया गया है जो निम्नांकित है :-

REGULATION No. 173

CREDIT FRAMEWORK FOR ONLINE LEARNING COURSES THROUGH SWAYAM

1. Preamble.—

- 1.1 Whereas Education has to widen the access to higher education and bring down its cost by using technological advances,
- 1.2 Whereas Massive Open Online Courses (MOOCs) have emerged as a viable model for imparting education, involving conventional and online education,
- 1.3 Whereas the Indian version of online learning is being launched on an indigenous platform of learning, named as SWAYAM (Study Web of Active Learning by Young and Aspiring Minds),
- 1.4 Whereas there is a need to create synergies between the salient features of anytime-anywhere format of e-Learning and the traditional classroom-based chalk and talk method to develop a unique content delivery mechanism, which is responsive to learners' needs and ensures seamless transfer of knowledge across geographical boundaries,
- 1.5 Whereas there is a need to put in place a regulatory mechanism that would allow seamless connect between the online learning and the regular class room learning,
- 1.6 Whereas University Grants Commission in exercise of the powers conferred by clause (f) and (g) of sub-section (1) of Section 26 of the UGC Act 1956 (No. 3 of 1956), has made the UGC (Credit Framework for Online Courses through SWAYAM) Regulation, 2016, vide No F.1-100/2016 (MOOC/E-content, notified on 19th July 2016 in Government of India Gazette No 925 of 20th July, 2016) and thereafter UGC (Credit Framework for Online Courses through SWAYAM) Regulation, 2016 (First Amendment) of 16th March, 2017.
- 1.7 Whereas vide section 7 of the regulation referred in 7.1 requires all Universities to incorporate the said regulation, now therefore the following regulation is made.

2. Short title, Application and Commencement:

2.1 These Regulations shall be called the Regulation for Credit Framework for online learning courses through SWAYAM

"These Regulations shall also be applicable mutatis mutandis to any platform evolved by the Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, Chhattisgarh for MOOC or to any platform recognized as equivalent to SWAYAM by the Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, Chhattisgarh"

2.2 These shall further apply to the transfer of credits of such students who are enrolled as regular/part-time students in Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, Chhattisgarh.

2.3 These shall come into force from the date of its adoption by Academic Council.

3. Definitions:

3.1 'Academic Council' is academic council defined in the Chhattisgarh Vishwavidyalaya Adhiniyam 1973 of Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, Chhattisgarh.

3.2 'Course' shall mean a paper which is taught for at least one semester as a part of a subject

3.3 'Four quadrant approach': the four Quadrant approach means e-learning system that has the following components:

- **Quadrant-I is e-Tutorial:** that shall contain: Video and Audio Content in an organized form, Animation, Simulations, Virtual Labs.
- **Quadrant-II is e-Content:** that shall contain: PDF/e-Books/illustration, video demonstrations, documents and Interactive simulations wherever required.
- **Quadrant-III is Web Resources:** that shall contain: Related Links, Open Content on Internet, Case Studies, Anecdotal information, Historical development of the subject, Articles.
- **Quadrant-IV is Self-Assessment:** that shall contain: MCQ, Problems, Quizzes, Assignments and solutions, Discussion forum topics and setting up the FAQ, Clarifications on general misconceptions.

3.4 '**Host Institution**' shall mean the institution duly recognised/approved by the regulating authority, to which the PI/SME offering the course belongs.

3.5 '**Institution**' shall mean any academic institution registered and functioning in India.

3.6 '**MOOCs**': Massive Open Online Courses (MOOCs) are such online courses which are developed as per the pedagogy stated herein; following the four quadrant approach and made available on the SWAYAM platform of Government of India.

- 3.7 '**MOOCs Guidelines**' shall mean guidelines on online learning issued by the MHRD vide its orders dated 11th March 2016 and subsequent addendums issued by the MHRD.
- 3.8 '**National MOOCs Coordinator**' (NMC) is a Nation level agency designated as such by the Government, for the purpose of coordinating the production of the online courses and for overseeing their quality in a designated sector of learning.
- 3.9 '**Parent Institution**' shall mean the institution/university/college where the student is enrolled.
- 3.10 '**Principal Investigator (PI)**': The PI shall be a Subject Matter Expert (SME) belonging to a reputed educational institution, identified and entrusted with the task of developing and delivering MOOCs in a given area by the NMC.
- 3.11 '**Sector**' shall mean a particular level of learning such as high school, engineering/non-engineering diploma/degree/post-graduation.
- 3.12 '**Subject**' shall mean a discipline (eg Mathematics) taught in an educational institution consisting of specific courses, resulting in awarding of a certificate/diploma/degree.
- 3.13 '**SWAYAM platform**' is an IT platform developed and made functional by the Ministry of Human Resource Development of Government of India for the purpose of offering online learning courses on the MOOCs pattern.

4. Online learning courses:

- 4.1. The online learning courses shall be made available on the SWAYAM Platform by the PI identified by the National MOOCs Coordinator, through the Host Institution, as per the schedule finalized by him/her.
- 4.2. The SWAYAM shall notify to the Registrar of Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, Chhattisgarh, on 1st June and 1st November every year, the list of the online learning Courses going to be offered in the forthcoming Semester.
- 4.3. Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur consider through Standing Council for University Departments and Board of Studies in respective subjects in case of affiliated colleges subject to approval of Academic Council, the online learning courses being offered through the SWAYAM platform; and keeping in view their academic requirements, decide upon the courses which it shall permit for credit transfer.

Provided that the University Department /Affiliated College can only allow up to 20% of the total courses being offered in a particular program in a Semester through the online learning courses provided through SWAYAM platform.

- 4.4. While making this decision, the Standing Council / BOS/Academic Council may, inter alia, consider allowing online courses of SWAYAM if:

- a) There is non-availability of suitable teaching staff for running a course in the Institution or
 - b) The facilities for offering the elective papers (courses), sought for by the students are not on offer in the Institution, but are available on the SWAYAM platform.
 - c) The courses offered on SWAYAM would supplement the teaching-learning process in the Institution.
- 4.5 Every student, in the class of the University Department /Affiliated College, offering a particular paper (course) would be required to register for the MOOCs for that course/paper.
- 4.6 While allowing the online learning Courses offered by SWAYAM, it shall be ensured that the physical facilities like Laboratories, computer facilities, library etc, essential for pursuing the courses shall be made available free and in adequate measure by the University Department /Affiliated Colleges.
- 4.7 The University Department /Affiliated Colleges must designate a course coordinator/facilitator to guide the students throughout the course and to facilitate/conduct the Lab/Practical sessions/examinations.

5. Evaluation and Certification of MOOCs

- 5.1. The host institution and the PI shall be responsible for evaluating the students registered for the MOOCs course launched by him/her.
- 5.2. The evaluation should be based on predefined norms and parameters and shall be based on a comprehensive evaluation throughout the length and breadth of course based on specified instruments like discussions, forums, quizzes, assignments, sessional examinations and final examination.
- 5.3. Whereas an online examination would be the preferred mode, the PI shall be authorized to decide on the mode of conducting the final examination. This shall be announced in the overview of the Course at the time of offering the course.
- 5.4. In case, an open and paper final examination is to be conducted, the same shall be offered through any college/school volunteering to conduct the same. The decision in this respect will be of the PI and the host institution.
- 5.5. After conduct of the examination and completion of the evaluation, the PI through the host institution shall award marks/grade as per the evaluation scheme announced.
- 5.6. The final marks/grade shall be communicated to the students as well as the parent institution of the student, within 4 weeks from the date of completion of the final examination.
- 5.7. The University shall, incorporate the marks/grade obtained by the student, as communicated by the Host Institution through the PI of the SWAYAM course in the marks sheet of the student that counts for final award of the degree/diploma

by the University with the proviso that the programs in which Lab/Practical Component is involved, the parent institution will evaluate the students for the practical/Lab component and accordingly incorporate these marks/grade in the overall marks/grade


- 5.8. A certificate regarding successful completion of the MOOCs course shall be signed by the PI and issued through the Host Institution and sent to the University /Affiliated Colleges.

6. Credit Mobility of MOOCs

- 6.1. Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur shall give the equivalent credit weightage to the students for the credits earned through online learning courses through SWAYAM platform in the credit plan of the program. The Standing Council shall be empowered to finalize the credit weightage.
- 6.2. No student shall be refused for credit mobility for the courses earned through MOOCs.

7. Transitory Measures

- 7.1 The Vice-Chancellor shall be empowered to resolve any issues that may arise in the implementation of these regulations in the Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur during the transition period of three years.



कुलसचिव

पृ.क्रमांक 4947 /अका./2017

रायपुर, दिनांक 21 /09/2017

प्रतिलिपि :-

01. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन रायपुर
02. सचिव, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन मंत्रालय, नया रायपुर
03. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग महानदी भवन मंत्रालय, नया रायपुर
04. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर
05. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/प्राचार्य, सम्बद्ध समस्त महाविद्यालय,
06. समस्त विभागीय अधिकारी,
07. कुलाधिपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), E-mail ID- academicprsu2@gmail.com

क्रमांक : 5341 / अका. / 2017

रायपुर, दिनांक : 21 / 11 / 2017

॥ अधिसूचना ॥

एतद् द्वारा अधिसूचित किया जाता है कि अधिसूचना क्रमांक 5158 / अका. / 2017 दिनांक 26.10.2017 में आंशिक संशोधन किया गया है जो निम्नांकित है:-

दानदाता श्री मनीष महावर के द्वारा श्री निरंजन महावर के सम्मान में स्वर्ण पदक **SHRI NIRANJAN MAHAWAR GOLD MEDAL** की स्थापना से संबंधित विनियम को, विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 04.10.2017 की अनुशंसा को कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 05.10.2017 में, अनुमोदित किया गया है। यह स्वर्ण पदक सत्र 2016-17 से विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विश्वविद्यालय अध्ययनशाला की **M.A./M.Sc. Anthropology (Specialization in Social Anthropology)** की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त अभ्यर्थी को आगामी स्वर्ण पदक अलंकरण समारोह या दीक्षांत समारोह में प्रदान किया जाएगा। विनियम क्रमांक 174 की स्थापना निम्नानुसार की गई है-


Regulation No. - 174 (E.C. Under 05-10-2017)

"SHRI NIRANJAN MAHAWAR GOLD MEDAL"

Donor	-	Shri Manish Mahawar 25 Central Avenue, Choubey Colony, Raipur (C.G.) Mob. No. - 0771-4060054
Value of Endowment	-	Rs. 60,000.00 (Rs. Sixty Thousand Only) No. G4/10449 Dated- 13 Sept.-2017
Award	-	One Gold Medal

1. The Endowment shall be called **"SHRI NIRANJAN MAHAWAR GOLD MEDAL"** and it shall be inscribed on one side of the Medal.
2. The net income accruing from endowment every year shall be utilized for the award of Gold Medal at the annual convocation of the University to the Student who secures highest marks in ***M.A./M.Sc. Anthropology (Specialization in Social Anthropology)*** Examination of the School of studies in Anthropology, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.
3. In the event of two or more examinees being eligible for the award under the provisions of para-2, one who is younger or youngest in age, shall be awarded gold medal.
4. The award of Gold Medal shall be effective from examination **2016-2017**.

आदेशानुसार,



कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 5342 /अका./2017

रायपुर, दिनांक : 21 /11/2017

प्रतिलिपि :

- 01 आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी.-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
02. Shri Manish Mahawar, 25 Central Avenue, Choubey Colony, Raipur (C.G.)
03. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
- 04 प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
05. समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
06. उ.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय/विकास/उ.कु.स. सामान्य प्रशासन/वित्त नियंत्रक,
07. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)

पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सदस्यों से माँ बंजारी देवी के प्रति जनसामान्य की आस्था को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न आयोजनों का संचालन करना.

3. सदस्यता

अ. यह न्यासी समिति माँ बंजारी देवी मंदिर न्यास की स्थायी संरक्षक समिति के रूप में कार्य करेगी.

ब. न्यासी समिति के चार (०४) सदस्य पदेन एवं सात (०७) सदस्य नामांकित होंगे.

स. न्यास समिति के सदस्यों की कुल संख्या ग्यारह (११) होगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:

- i. अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति ट्रस्ट के पदेन अध्यक्ष होंगे
- ii. उपाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के रेक्टर या विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा मनोनीत एक सदस्य,
- iii. सचिव, विश्वविद्यालय के कुलसचिव ट्रस्ट के पदेन सचिव होंगे
- iv. सह-सचिव, विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव (सामान्य प्रशासन) पदेन सह-सचिव होंगे
- v. कोषाध्यक्ष, विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक पदेन कोषाध्यक्ष होंगे
- vi. सदस्य, सदस्यों की कुल संख्या (६) होगी. इसमें दो (२) सदस्य शिक्षक समुदाय से, दो (२) सदस्य कर्मचारी समुदाय से एवं दो (२) सदस्य वर्तमान/पूर्व छात्रों से पूर्ण होगी. उपरोक्त छह (०६) सदस्यों का मनोनयन माननीय कुलपति, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय द्वारा किया जावेगा.
- vii. सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े ०३ सदस्यों को भी न्यास समिति द्वारा सहमति होने पर शामिल किया जा सकेगा.

४. कार्य अवधि

पदेन सदस्य अपने पद पर रहते हुए कार्य करेंगे, जबकि नामांकित सदस्यों का कार्यकाल तीन (०३) वर्ष का होगा. न्यासी समिति में जिस वर्ग से न्यासी का स्थान रिक्त होगा उसी वर्ग से नियमानुसार स्थान की पूर्ति की जावेगी.

५. न्यासी समिति के सदस्यों की सदस्यता समाप्ति-

निम्नलिखित कारणों से न्यासी समिति के सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी:

१. पदेन सदस्य के उस पद पर ना रहने के कारण;
२. सदस्यता से त्यागपत्र देने पर;
३. सदस्य की मृत्यु हो जाने पर;
४. सजा याफ्ता या पागल हो जाने पर;
५. न्यास के हित के विरुद्ध क्रियाकलाप के कारण, न्यास समिति द्वारा बहुमत से प्रस्ताव पारित कर, उस सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकेगी.

५(अ) पूजा अर्चना हेतु पुजारी की नियुक्ति

मंदिर में स्थापित देवी देवताओं की मूर्तियों की नियमित पूजा अर्चना हेतु एक पुजारी एवं मंदिर की व्यवस्था हेतु अन्य कर्मचारी की नियुक्ति न्यास समिति द्वारा बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार की जावेगी एवं उन्हें प्रत्येक माह दिए जाने वाले मानदेय एवं कार्य का निर्धारण भी किया जावेगा।

६. प्रबंध कारिणी समिति एवं इसका निर्माण

माँ बंजारी देवी मंदिर न्यास के संचालन और उत्तरदायित्व के समस्त अधिकार न्यासी समिति में निहित होंगे. व्यवस्था एवं संचालन हेतु प्रबंध कारिणी समिति का गठन निम्नानुसार किया जायेगा - न्यास समिति के सदस्यों की कुल संख्या ग्यारह (११) होगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

१. अध्यक्ष: पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति ट्रस्ट के पदेन अध्यक्ष होंगे

2. उपाध्यक्ष: पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के रेक्टर/विश्वविद्यालय कार्यपरिषद द्वारा मनोनीत एक सदस्य.

3. सचिव: पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलसचिव ट्रस्ट के पदेन सचिव होंगे
 4. सह-सचिव: पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव (सामान्य प्रशासन) पदेन सह-सचिव होंगे.
 5. कोषाध्यक्ष: पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक पदेन कोषाध्यक्ष होंगे.
 6. सदस्य: सदस्यों की कुल संख्या (6) होगी. इसमें दो (2) सदस्य पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के शिक्षक समुदाय से, दो (2) सदस्य पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कर्मचारी समुदाय से एवं दो (2) सदस्य पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के वर्तमान/पूर्व छात्रों से पूर्ण होगी.
- उपरोक्त छह (06) सदस्यों का मनोनयन माननीय कुलपति, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा .

7. प्रबंध कारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य (कार्य)

1. वित्तीय वर्ष के आधार पर, वार्षिक आय-व्यय का ब्यौरा तैयार करना
 2. चल-अचल संपत्ति का अर्जन, निर्माण, विनियोजन एवं परिवर्तन आदि करना
 3. समस्त वार्षिक आय-व्यय की स्वीकृति न्यासी समिति से प्राप्त करना
 4. माँ बंजारी देवी की पूजा एवं धार्मिक प्रयोजन हेतु आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय से सहयोग प्राप्त करना (वर्तमान में आबंटित भूमि एवं भविष्य में विकास हेतु प्राप्त की जाने वाली भूमि का स्वामित्व विश्वविद्यालय का होगा)
 5. दान, भेट, चंदा इत्यादि से राशि प्राप्त करना
 6. माँ बंजारी देवी मंदिर के हित में आवश्यक एवं उपयुक्त निर्णय लेना. इस हेतु प्रत्येक तीन माह में न्यासी समिति की बैठक का आयोजन करना
 7. समस्त वैधानिक, सामाजिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय लेखा संधारण के लिए आवश्यक निर्णय लेना तथा कार्यों का संपादन करना
- कोरम : प्रबंध कारिणी समिति का कोरम छह (06) सदस्यों के उपस्थिति में पूर्ण होगा. गणपूर्ति के अभाव में बैठक एक घंटे स्थगित कर पुनः बैठक उसी स्थान पर शुरू की जा सकेगी.

8. न्यासी समिति की सामान्य सभा

प्रबंध कारिणी समिति के पदाधिकारियों के द्वारा लिए गए समस्त अधिकारों के अनुरूप लिए गए निर्णयों पर कार्यवाही के पूर्व विचार करने हेतु एवं भविष्य की योजनाओं के लिए सामान्य सभा की बैठक आहूत की जाएगी.

1. प्रबंध कारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार के अनुरूप लिए गए निर्णयों का अनुमोदन करना एवं व्याख्या करना
2. वित्तीय वर्ष के आधार पर, वार्षिक आय-व्यय के ब्यौरे को स्वीकृती प्रदान करना
3. चल अचल संपत्ति का अर्जन, निर्माण, विनियोजन एवं परिवर्तन आदि को स्वीकृती प्रदान करना
4. समस्त वार्षिक आय-व्यय ब्यौरे को स्वीकृति प्रदान करना.
5. माँ बंजारी देवी की पूजा एवं धार्मिक प्रयोजन हेतु आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय से सहयोग प्राप्त करने हेतु प्रयास करना
6. दान, भेट, चंदा इत्यादि से प्राप्त राशि की जानकारी प्राप्त करना
7. माँ बंजारी देवी मंदिर के हित में आवश्यक एवं उपयुक्त निर्णय लेना.
8. समस्त वैधानिक, सामाजिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय लेखा संधारण के लिए आवश्यक निर्णय लेना.

९. समिति के २/३ सदस्यों (सात सदस्य) के हस्ताक्षर पर किसी विशेष विषय पर बैठक बुलाने की मांग किये जाने पर एक माह के अन्दर सामान्य सभा की बैठक बुलाई जाएगी
१०. आठ (०८) सदस्यों की उपस्थिति से कोरम पूर्ण होगा. गणपूर्ति के आभाव में बैठक एक घंटे स्थगित कर पुनः बैठक उसी स्थान पर शुरू की जा सकेगी.

९. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य:

१. अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य:

- अ. न्यासी समिति की सामान्य सभा एवं प्रबंध कारिणी समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे
- ब. न्यासी समिति की सामान्य सभा एवं प्रबंध कारिणी समिति की बैठक आहूत करने हेतु सचिव को निर्देश देना
- स. विशेष धार्मिक कार्यक्रम या अन्य कार्यक्रम हेतु आकस्मिक व्यय की आवश्यकता पड़ने पर उचित राशि की स्वीकृति प्रदान करना

२. उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य:

- अ. अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप कार्य करना
- ब. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता करना

३. सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य:

- अ. अध्यक्ष के निर्देशानुसार न्यासी समिति सामान्य सभा एवं प्रबंधकारिणी समिति की बैठक आयोजित करना
- ब. न्यासी समिति सामान्य सभा एवं प्रबंधकारिणी समिति की बैठक में लिए गए निर्णयों को कार्यवाही पंजी में लिपिबद्ध करना एवं क्रियान्वयन करना.
- स. रु. दस हजार (रु. १०,०००/=) तक की आकस्मिक व्यय की राशि की स्वीकृति प्रदान करना

४. सहसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य:

- अ. सचिव द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अनुरूप कार्य करना
- ब. सचिव की अनुपस्थिति में बैठक का सचिव के रूप में संचालन करना

५. कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य:

- अ. माँ बंजारी मंदिर देवी के कोष को बैंक में जमा करना.
- ब. प्रबंधकारिणी के अध्यक्ष एवं सचिव के निर्देशानुसार कोष का संचालन करना
- स. आय-व्यय का विवरण (कैशबुक, लेजर एवं व्हाउचर आदि) संधारित करना
- द. वार्षिक बजट तैयार करना, अंकेक्षण कार्य पूर्ण करना एवं सामान्य सभा तथा प्रबंधकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करना

९ (अ) मंदिर का प्रबंधन

मंदिर के कुशल प्रबंधन एवं संचालन का दायित्व प्रबंध कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं सचिव का होगा। मंदिर की प्रचलित व्यवस्था में परिवर्तन न्यास समिति के अनुमोदन के उपरांत ही किया जा सकेगा।

१०. संशोधन

माँ बंजारी देवी मंदिर ट्रस्ट समिति के नियमावली में संशोधन सामान्य सभा के २/३ सदस्यों (०७) के द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में मत देने पर किया जा सकेगा. यह संशोधन पंजीयक लोक न्यास रायपुर के स्वीकृति के पश्चात ही लागू होगा.

हस्ताक्षर

नाम

पता


१. अध्यक्ष

माँ बंजारी देवी मंदिर ट्रस्ट,
पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय
परिसर, रायपुर

२.

३.

४.



कुलसचिव

पृ.क्रमांक : 5916 / अका. / 2018

रायपुर, दिनांक : 05/03/2018

प्रतिलिपि :-

01. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
02. सचिव, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन मंत्रालय, नया रायपुर
03. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर
04. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
05. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
06. वित्त नियंत्रक/प्रभारी, आवासीय अंकेक्षण, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर।
07. संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद/ अधिष्ठाता, छात्र कल्याण/ प्रभारी जनसंपर्क अधिकारी, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
08. समस्त विभाग प्रमुख, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)।
09. कुलपति के सचिव/ कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर।
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)
22



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), E-mail ID- academicprsu2@gmail.com

पत्र क्रं. 234 / रेग्यू. / अका. / 2020

रायपुर दिनांक 15.09.2020

// अधिसूचना //

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.09.2020 में निर्णय क्रमांक 10 में – विश्वविद्यालय अध्ययनशाला के समस्त संकायाध्यक्षों की बैठक दिनांक 28.08.2020 की अनुशंसानुसार विनियम क्रमांक 176 “चॉयस बेस्ड पाठ्यक्रम विनियम” में क्रमांक 9 एवं 10 में आंशिक संशोधन किये जाने का निर्णय को मान्य करते हुए संशोधित विनियम क्रमांक 176 की अनुशंसा का कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.09.2020 में पूरक विषय सूची क्रमांक 01 में अनुमोदित किया गया है, जो निम्नांकित है –

संशोधित विनियम क्रं. 176

(परिनियम 10 के प्रावधान के अंतर्गत निर्मित)


1. यह विनियम “चॉयस बेस्ड पाठ्यक्रम विनियम” के नाम से जाना जायेगा।
2. यह विनियम विश्वविद्यालय अध्ययन शाला एवं इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों पर प्रभावी होगा।
3. स्नातकोत्तर स्तर के द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर के छात्र इस पाठ्यक्रम का संबंधित सेमेस्टर के लिए घोषित प्रश्नपत्रों में से ही प्रश्न पत्र का चयन कर सकेंगे।
4. ऐसे पाठ्यक्रम जो दो ही सेमेस्टर के पाठ्यक्रम है एवं ऐसे पाठ्यक्रम जिसमें तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर में प्रोजेक्ट वर्क अनिवार्य हो, के छात्र चॉयस बेस्ड के द्वितीय सेमेस्टर के प्रश्नपत्रों का प्रथम सेमेस्टर में एवं तृतीय सेमेस्टर के प्रश्नपत्रों का द्वितीय सेमेस्टर में चयन कर सकेंगे।
5. प्रत्येक छात्र को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर में मिलाकर न्यूनतम छः क्रेडिट लेना अनिवार्य है। छात्र अधिकतम दस क्रेडिट का एक ही विषय अथवा भिन्न विषय में चयन कर सकेंगे।
6. चॉयस बेस्ड पाठ्यक्रम के प्रश्नपत्रों को अंकसूची में अतिरिक्त पाठ्यक्रम के रूप में प्रदर्शित किया जावेगा। प्रत्येक विद्यार्थी को स्नातकोत्तर स्तर के चॉयस बेस्ड पाठ्यक्रम प्रश्न पत्रों में से न्यूनतम छः क्रेडिट उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
7. चॉयस बेस्ड पाठ्यक्रम की परीक्षा संबंधित सेमेस्टर परीक्षा के साथ ही सम्पन्न कराई जायेगी।
8. विद्यार्थी जिस अध्ययन शाला में चॉयस बेस्ड पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगे, उस अध्ययन शाला द्वारा संबंधित सेमेस्टर परीक्षा हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि के पूर्व, चॉयस बेस्ड पाठ्यक्रम हेतु चयनित विद्यार्थियों की सूची, प्रश्नपत्र-विषय,

8/11/20

विद्यार्थी के प्रथम वर्ष के रोल नम्बर एवं मूल विभाग की जानकारी परीक्षा एवं गोपनीय विभाग को निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित किया जावेगा। कम्प्यूटरीकृत परीक्षा आवेदन पत्रों में भी इसका प्रावधान किया जावेगा।

9. ऐसे अध्ययन शाला जहाँ अध्ययन-अध्यापन के लिए प्रातः कालीन व्यवस्था है वहाँ चॉयस बेस्ड पाठ्यक्रम की Contact कक्षाएं प्रातः 9 बजे से 10 बजे के मध्य एवं शेष अध्ययन शालाओं में कक्षाएं सांय 4 से 5 बजे तक शंका निवारण हेतु आयोजित की जावेंगी।
10. चॉयस बेस्ड पाठ्यक्रम की कक्षाएं Online mode में विश्वविद्यालय की website पर उपलब्ध की जाएगी।
11. चॉयस बेस्ड पाठ्यक्रम का निर्धारण, अन्य पाठ्यक्रमों की भांति संबंधित विषय के अध्ययन मंडल द्वारा किया जावेगा।

आदेशानुसार,



14.9.20
कुलसचिव

पृ. क्रं. 235 / रेग्यू / अका0 / 2020

रायपुर दिनांक 15.09.2020

प्रतिलिपि-

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर
2. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन अटल नगर, नवा रायपुर
3. सचिव, वित्त- विभाग मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन अटल नगर, नवा रायपुर
4. आयुक्त, उच्च शिक्षा, संचालनालय, छत्तीसगढ़ शासन, इंद्रावती भवन अटल नगर, नवा रायपुर
5. अध्यक्ष, समस्त अध्ययन शाला, विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग / प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय, प. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
6. समस्त विभागीय अधिकारी, प. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
7. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निज सहायक, प. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), E-mail ID- academicprsu2@gmail.com

क्रमांक : 7415 / अका. / 2018

रायपुर, दिनांक 24/10/2018

॥ अधिसूचना ॥

दानदाता डॉ. अजीत आनंद डेग्वेकर के द्वारा स्व. श्री मनोहर दामोदर डेग्वेकर के सम्मान में स्वर्ण पदक **ACHARYA DEGWEKAR (LATE. MANOHAR DAMODAR DEGWEKAR) MEMORIAL GOLD MEDAL** की स्थापना से संबंधित विनियम को, विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.09.2018 में, अनुमोदित किया गया है। यह स्वर्ण पदक सत्र 2017-18 से विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विश्वविद्यालय की **M.Sc. Physics Astronomy and Astrophysics** की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्र को आगामी स्वर्ण पदक अलंकरण समारोह या दीक्षांत समारोह में प्रदान किया जाएगा। विनियम क्रमांक 178 की स्थापना निम्नानुसार की गई है—

Regulation No. - 178

(E.C. Under 18-09-2018)

"ACHARYA DEGWEKAR (LATE. MANOHAR DAMODAR DEGWEKAR) MEMORIAL GOLD MEDAL"

Donor	-	Dr. Ajit Anand Degwekar, Hanuman Mandir Gali, Sapre School Maidan ke Samne, Budhapara, Raipur (C.G.) 492001 Mob. No. - 94252-02007, 9827179276
Value of Endowment	-	Rs. 60,000.00 (Rs. Sixty Thousand Only) Book No. 4239 R.No. 11 Dated- 17-09-2018
ward	-	One Gold Medal

1. The Endowment shall be called "**ACHARYA DEGWEKAR (LATE. MANOHAR DAMODAR DEGWEKAR) MEMORIAL GOLD MEDAL**" and it shall be inscribed on one side of the Medal.
2. The net income accruing from endowment every year shall be utilized for the award of Gold Medal at the annual convocation of the University to the Boy Examinee securing the highest marks in the subject **Astronomy and Astrophysics** at the **M.Sc. Physics** final Examination of the University amongst all boys candidates, Provided that such candidate has passed the M.Sc. examination in the first attempt.
3. In the event of two or more examinees being eligible for the award under the provisions of para-2, one who is younger or youngest in age, shall be awarded gold medal.
4. The award of Gold Medal shall be effective from examination 2018.

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 7A16 / अका. / 2018

रायपुर, दिनांक 24 /10/2018

प्रतिलिपि :

- 01 आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी.-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
02. Dr. Ajit Anand Degwekar, Hanuman Mandir Gali, Sapre School Maidan ke Samne, Budhapara, Raipur (C.G.) 492001
03. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
- 04 प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
05. समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
06. उ.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय/विकास/उ.कु.स. सामान्य प्रशासन/वित्त नियंत्रक,
07. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)




पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), E-mail ID- academicprsu2@gmail.com

क्रमांक 7A13 / अका. / 2018

रायपुर, दिनांक 24/10/2018

॥ अधिसूचना ॥

दानदाता डॉ. अजीत आनंद डेग्वेकर के द्वारा स्व. श्री मनोहर दामोदर डेग्वेकर के सम्मान में स्वर्ण पदक ACHARYA DEGWEKAR (LATE. MANOHAR DAMODAR DEGWEKAR) MEMORIAL GOLD MEDAL की स्थापना से संबंधित विनियम को, विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.09.2018 में, अनुमोदित किया गया है। यह स्वर्ण पदक सत्र 2017-18 से विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विश्वविद्यालय की M.Sc. Physics Astronomy and Astrophysics की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्रा को आगामी स्वर्ण पदक अलंकरण समारोह या दीक्षांत समारोह में प्रदान किया जाएगा। विनियम क्रमांक 179 की स्थापना निम्नानुसार की गई है-

Regulation No. - 179

(E.C. Under 18-09-2018)

"ACHARYA DEGWEKAR (LATE. MANOHAR DAMODAR DEGWEKAR) MEMORIAL GOLD MEDAL"

- | | | |
|--------------------|---|--|
| Donor | - | Dr. Ajit Anand Degwekar,
Hanuman Mandir Gali,
Sapre School Maidan ke Samne,
Budhapara, Raipur (C.G.) 492001
Mob. No. - 94252-02007, 9827179276 |
| Value of Endowment | - | Rs. 60,000.00
(Rs. Sixty Thousand Only)
Book No. 4239 R.No. 12 Dated- 17-09-2018 |
| Award | - | One Gold Medal |
1. The Endowment shall be called "ACHARYA DEGWEKAR (LATE. MANOHAR DAMODAR DEGWEKAR) MEMORIAL GOLD MEDAL" and it shall be inscribed on one side of the Medal.
 2. The net income accruing from endowment every year shall be utilized for the award of Gold Medal at the annual convocation of the University to the Girl Examinee securing the highest marks in the subject **Astronomy and Astrophysics** at the **M.Sc. Physics** final Examination of the University amongst all girls candidates, Provided that such candidate has passed the M.Sc. examination in the first attempt.
 3. In the event of two or more examinees being eligible for the award under the provisions of para-2, one who is younger or youngest in age, shall be awarded gold medal.
 4. The award of Gold Medal shall be effective from examination 2018.

आदेशानुसार

कुलसचिव

पृ. क्रमांक 741A / अका. / 2018

रायपुर, दिनांक 2A / 10/2018

प्रतिलिपि :

- 01 आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी.-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
02. Dr. Ajit Anand Degwekar, Hanuman Mandir Gali, Sapre School Maidan ke Samne, Budhapara, Raipur (C.G.) 492001
03. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
- 04 प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
05. समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
06. उ.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय/विकास/उ.कु.स. सामान्य प्रशासन/वित्त नियंत्रक,
07. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), E-mail ID- academicprsu2@gmail.com

क्रमांक : 7758 / अका. / 2018

रायपुर, दिनांक : 28 / 12 / 2018

॥ संशोधित अधिसूचना ॥

विश्वविद्यालय के अधिसूचना क्रमांक 7411 / अका. / 2018 दिनांक 24.10.2018 में 'दानदाता श्री सुजीत कटियार' के स्थान पर श्री सुधीर कटियार किया जाता है।

अतः दानदाता श्री सुधीर कटियार के द्वारा स्व. प्रो. चन्द्र प्रकाश कटियार के सम्मान में स्वर्ण पदक "**LATE PROFESSOR CHANDRA PRAKASH KATIYAR**" **MEMORIAL GOLD MEDAL** की स्थापना से संबंधित विनियम को, विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.09.2018 में, अनुमोदित किया गया है। यह स्वर्ण पदक सत्र 2017-18 से विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विश्वविद्यालय की **B.Com.** की परीक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त छात्र/छात्रा को आगामी स्वर्ण पदक अलंकरण समारोह या दीक्षांत समारोह में प्रदान किया जाएगा। विनियम क्रमांक 180 की स्थापना निम्नानुसार की गई है-

Regulation No. - 180 (E.C. Under 18-09-2018)

"LATE PROFESSOR CHANDRA PRAKASH KATIYAR" MEMORIAL GOLD MEDAL

Donor	-	Shri Sudhir Katiyar, HDD/232, Face-III, J.P. Chowk, Kabir Nagar, Raipur (C.G.) 492001 Mob. No. - 94252-02007, 9827179276
Value of Endowment	-	Rs. 60,000.00 (Rs. Sixty Thousand Only) Book No. 4239 R.No. 13 Dated- 17-09-2018
Award	-	One Gold Medal

1. The Endowment shall be called "**LATE PROFESSOR CHANDRA PRAKASH KATIYAR**" **MEMORIAL GOLD MEDAL** and it shall be inscribed on one side of the Medal.
2. The net income accruing from endowment every year shall be utilized for the award of Gold Medal at the annual convocation of the University to the Student who secures first position in merit list in **B.Com.** final year examination of the University, provided that the candidate has passed the examination in the first attempt.
3. In the event of two or more examinees being eligible for the award under the provisions of para-2, one who is younger or youngest in age, shall be awarded gold medal.
4. The award of Gold Medal shall be effective from examination **2018**.

आदेशानुसार,


कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 7759 / अका. / 2018

रायपुर, दिनांक : 28 / 12 / 2018

प्रतिलिपि :

- 01 आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी.-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर।
02. Shri Sudhir Katiyar, HDD/232, Face-III, J.P. Chowk, Kabir Nagar, Raipur (C.G.) 492001
03. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
- 04 प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
05. समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
06. उ.कु.स. परीक्षा / उ.कु.स. गोपनीय / विकास / उ.कु.स. सामान्य प्रशासन / वित्त नियंत्रक,
07. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)





पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), E-mail ID- academicprsu2@gmail.com

क्रमांक 7754 / अका. / 2018

रायपुर, दिनांक 27/12/2018

॥ अधिसूचना ॥

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.10.2018 में अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय क्रमांक 1 में Draft रेगुलेशन Intellectual Property Right Policy की अनुशंसा का अनुमोदन कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 25.10.2018 में पूरक विषय सूची क्रमांक 01 में अनुमोदित किया गया है, जो निम्नांकित है –

Regulation No. - 181
(E.C. Under 25-10-2018)

Intellectual Property Right Policy

Index

S. No.	Contents	Page. No.
1	Preamble	1
2	Objectives of Intellectual Property Right Policy	1
3	Members of Intellectual Property Rights cell	2
4	Ownership of Intellectual Property	2
5	Intellectual Property Administration <ul style="list-style-type: none">• Disclosure• Evaluation of Disclosure• Acknowledgement• Commercialization• Informing Inventors decisions• Statement by Inventors• Consulting Agreements• The University Advisory Committee• Responsibility of Departments• Authority of Contracts	3
6	Record Keeping Procedure	7
7	Confidentiality Requirement	8
8	Distribution of Proceeds	8
9	Right to regulate IPR Policy	8

1. PREAMBLE

The policy is broadly based on different notification of central government, national statutory body and some prominent academic institutions. The best practices of different universities are also included in the draft.

This Intellectual Property Right (IPR) Policy document is a guidance document for Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur personnel (Faculty members, Researchers and Students), Collaborators and Sponsors regarding Intellectual property dealing with Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, India regarding the rights and obligations dealing with the nature of intellectual property, ownership, Technology Transfer and confidentiality requirements.

This policy document not only safeguard the Intellectual Property(IP) issues but in addition will also allocate a fair share of the benefits to all those involved in the creation of intellectual property. This will motivate other researchers to conduct research, transfer technology and would be benefitted by the outcome of the intellectual property. The policy will encourage an environment of innovation leading to IP in the University. This will be useful in public at large of the University and inventors involved in the IP exercise.

All potential inventors who would participate in a sponsored research project and/or make use of the University supported resources should know about this policy document and shall accept the principles of ownership of Intellectual Property as stated in this policy unless an exception is approved in writing by the University.

2. OBJECTIVES OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT POLICY

The objectives of IPR Policy are to:

- a. Develop the environment of freedom for research & development, the discovery of new knowledge & innovation in order to achieve the educational mission of the University.
- b. Set up and maintain IPR Cell so that services are provided to the researchers, faculty members, students for effective commercial utilization of intellectual property generated at the University in the interests of all concerned, and to oversee the fair distribution of the returns accruing as an outcome of the patents, designs, copyright, trademarks and other forms of IP in accordance with this policy and its amendments.
- c. To promote and safeguard of the intellectual property interests of all those who are involved in the creation of intellectual property at the University.
- d. Make policy document available to conduct the dissemination of the University's IP for commercial use, so that public could be benefitted at large while safeguarding the interests of the inventors/applicants of IP, and to generate revenue for the University and the inventors.
- e. Provide legal support to the University deems necessary to defend and protect the interests of the University and inventors of intellectual property rights against unauthorized use of such property.



3. MEMBERS OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHT CELL

The University IPR Cell, would comprise the Chairperson, IPR member-secretary and three senior faculty members with expertise in area related to creative work, legal aspects of IPR and technology transfer, as recommended by the chairperson of IPR Cell and approved by the Vice Chancellor. The Chairperson and member secretary will be nominated by the Vice Chancellor. The tenure of the members shall be for five years. Cell should be responsible to administer all decisive issues related to IP Policy and other relevant matters as should be determined from time to time. The services of outside expert personnel or Attorney may be hired time to time as per the need of the cell and name will be finalized by the committee members and approved by the ViceChancellor.

The Constitution of the Cell:

- Chairperson
- IPR Member-Secretary
- Three senior faculty members of the University

4. OWNERSHIP OF INTELLECTUAL PROPERTY

a. Copyrights:

The University will not own the rights in books, book chapters, articles, monographs, lectures, speeches and other communications which are copyrightable works as produced by the University personnel in the course of research and teaching produced using usual University resources. In all other cases the University may accept assignment of the copyright in whole or in part depending on the degree of the University supported resources used in producing the copyrightable work.

Where copyright has not been assigned to the University, the University will be entitled to a non-exclusive, non-transferable license to use the work within the University, Raipur for non-commercial educational and research purposes, or to possess a limited number of copies for such purposes, whichever is relevant.

b. Patents and inventions:

The University will own the rights of such intellectual property as is created by inventors through the use of University supported resources and which is in the opinion of the Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur commercializable by the University, and intellectual property created through sponsored research where the sponsoring agency does not claim intellectual property rights.

Any type of payment received from the commercialization of the University owned intellectual property will be shared between the University and the inventors (70 % to inventors and 30 % to the University of Net Profit).



The pattern of distribution of the portion designated as Inventors share amongst the staff is to be followed as given below:

	Staff	Share
i.	Inventors (Inventor or Principal Contributor/PI/Researcher of the university may comprise scientist and other S&T staff who have provided innovative, developmental, design, experimental, data/information, TKs/GI , testing/analytical, repair/fabrication, training and business development/marketing inputs for the project/activity) shall have equal share.	35%
ii.	Other members of the team S&T and other staff may comprise staffs that have provided direct supporting inputs for the specific project/activity in the ratio of 25 and 10% respectively.	35%
iii.	IPR Cell	25%
iv.	Welfare Fund	5%

In the event of any legal action/dispute necessitating refund/payment of monies/fees to the client, the amount paid to the staff is recoverable; The maximum amount of money receivable by an employee from licensing of Intellectual Property and intellectual fee from contract R&D will not exceed Rs.1.0 Lakh per financial year or his/her salary for the particular financial year whichever is less.

5. INTELLECTUAL PROPERTY ADMINISTRATION

a. Disclosure:

When the inventors believe that they have generated patentable or commercializable IP using University supported resources, they shall report it in writing along with relevant documents, data and information, to the IPR Cell of the University. The information shall constitute a full and complete disclosure of the nature, particulars and other details of the intellectual property and identification of all persons who constitute the inventors of the property. Where there are different inventors that make up a system, the individual inventors and their contributions must be identified.

Having made the disclosure, the inventor shall maintain confidentiality i.e., refrain from disclosing the details, unless authorized in writing by the University or until the University, has assessed the possibility of commercialization of the intellectual property.

b. Evaluation of Disclosure:

The University IPR committee will evaluate the disclosure made by the inventors, determine whether there is a good prima facie case for believing that the intellectual property is commercializable and will examine any other relevant information and applicable commitments. The University will determine which of the followings condition apply:

The University, if unwilling to commercialize the Intellectual Property:

In this case the University will merely record the fact of the creation of the intellectual property without prejudice to the rights of the inventors and hold all information communicated in this regard by the inventors secret and confidential.

The University wishes to own and commercialize the intellectual property:

In this case, the University will take steps to commercialize the property through patenting or confidentiality. Where a patent is applied, the inventors shall agree to maintain all relevant details of the intellectual property secret and confidential until the patent is sealed. In the case of protection through confidentiality the same information will be kept secret and confidential as long as the intellectual property has commercial value. The inventors shall furnish such additional information and execute such documents from time to time as may be reasonably requested for effective protection and maintenance of proprietary rights of the University in the intellectual property.

c. Acknowledgement:

The inventors of University owned intellectual property shall retain their moral right to be identified as such unless they specifically waive this right in writing.

d. Commercialization:

All expenses for obtaining and maintaining statutory rights in University owned intellectual property will be borne by the University. The University will take steps to commercialize all University -owned property in the manner below:

- The inventors shall disclose the nature and particulars of the intellectual property they have created to the University
- If the property is found to be assignable to the Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur and the University wishes to own the property, the University will file the patent, or proceeds directly for commercialization through confidentiality agreements with third parties, whichever is practicable.
- In case intellectual property has been commercialized, the subsequent cost of maintaining statutory protection will be met through receipts from the licensee. If the property has not been commercialized, all rights and responsibilities in it will revert to the inventors unless in the University opinion it stands a good chance of being commercialized within the next year, in that case University opts to pay for another year of protection and retains the rights for the subsequent year.
- After the end of the third year, if the intellectual property is still not commercialized, all rights and responsibilities of the property will revert to the inventors, subject to any contractual agreements with a sponsor if any, and the University will no more be liable to pay for statutory protection of the property.



At any time during the above process, the Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur will have the right to revert the rights in the intellectual property to the inventors at a mutually agreeable date. If the property is commercialized subsequently, the receipts will be shared (70 to inventors and 30 to Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur of net profit.)

e. Informing inventors of decisions:

The inventors of Intellectual Property will be informed of progress regarding the decision of IP Advisory committee for filing of the patent, commercialization and/or disposition of the intellectual property by the University. The University and the inventors shall maintain complete transparency in sharing information at all stages of the process. The inventors shall keep the University informed of updates or development of the Intellectual Property which lead to tangible effects on the property.

f. Statement by inventors:

The inventors of intellectual property under the terms of this policy shall be required to determine and to state that to the best of their knowledge the intellectual property does not infringe any existing property.

In case an allegation is made regarding infringement by the inventors and the Advisory Committee of IPR Cell of Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur finds prima facie that the inventors may have made false claims, the University will take immediate steps to dissociate itself from the said intellectual property. All agreements with inventors should indemnify the University against all damages arising out of such litigation.

g. Consulting agreements:

Since consultancy comes to academic staff through the University channels and is administered centrally, any intellectual property arising from consultancy should be assigned to the University in the interests of transparency and fair negotiation with consulting firms. The University will offer a first refusal option on the licensing of such intellectual property rights to the consulting firm, as with sponsored research. However, in recognition of the fact that a percentage of the consultant's fee is paid to the Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur, the royalty arising from commercialization of intellectual property generated through consultancy will be in a ratio of 70% to consultant and 30% to the Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur. Inventors engaged in consulting work or business have a responsibility to ensure that agreements governing such work or business are not in conflict with University policy or with the Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur's prior contractual commitments. Such inventors should make their University, obligations known to outside parties before they make such agreements and should provide such parties with copies of all applicable University policies.

h. Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur Intellectual Property Advisory Committee:

The Committee will administer intellectual property policy and such other relevant matters as shall be determined from time to time. In particular the Committee will decide in cases where

- the issue is in doubt whether the use of a particular resource constitutes Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur -supported resources
- inventors are found to have made false claims
- there is a dispute involving sponsored research
- there is a disputes arise regarding the continued extension of statutory protection to technologies assigned to the Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur and yet to be commercialized
- There is a complaint or question regarding the matters addressed in this policy, its implementation or interpretation.

i. Responsibilities of departments:

Each department will administer the University policy as defined herein through its Board of Research studies/Board of study. In particular each innovator must maintain in his or her department records detailing his or her activities in generating intellectual property. Such records must be made available on demand to the University Intellectual Property Committee.

j. Authority of Contracts:

All Commitments, Agreements, Memoranda of Understanding etc. relating to commercialization or exploitation of Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur - owned intellectual property will be granted in the name of the Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.

k. First-refusal option for sponsors:

Unless the Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur decides otherwise on the merits of the case, agreements governing sponsored research shall provide that all intellectual property developed as a result of the sponsored research project shall belong to the University. When the inventors discloses the generation of such intellectual property to the University, the sponsor will receive first refusal on an option to license the resulting intellectual property on terms to be negotiated on a case-by-case basis. The sponsor has to either accept or refuse its first-refusal option within 90 days of the date of offer of the option by the Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur to the sponsor. If the University finds that the sponsor has not taken steps to commercialize the property within one year of acceptance of the option, the University will be free to revoke the license. Confidentiality agreements will continue to apply in that event. The University may at its own discretion contract with sponsors to allow them specific rights, whether exclusive or non-exclusive, in the intellectual property whose creation they sponsor, if in the Pt. Ravishankar

Shukla University, Raipur 's opinion the granting of such rights will facilitate the commercialization of t

In all cases the terms of licenses or assignment shall be determined through negotiation he intellectual propertybetween the sponsor and the Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur once the sponsor agrees to exercise his or her licensing option. Considerations that must be taken into account are:

- The nature and application of the intellectual property
- The relative contributions of the Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur and the sponsor to resources involved in its creation
- The University opinion on the best way to commercialize the intellectual property. If the sponsor refuses to exercise his or her first-refusal licensing option, the Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur will proceed to commercialize the intellectual property as it deems fit.

5. RECORD KEEPING PROCEDURE

It will be the responsibility of the Head of Departments or persons authorized by the University, Intellectual Property Committee to ascertain for the purposes of this policy which facilities/resources used for the purpose of generation of intellectual property by a inventors in a given Department should be construed as usual University resources and which should be construed as Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur -supported resources, and to maintain records of the course of development of intellectual property involving such resources.

All data and details generated by inventors in the course of creation of intellectual property should be systematically recorded in the concerned department as outlined below:

- a. All laboratory records shall be entered in indelible ink in bound volumes marked "PRIVATE & CONFIDENTIAL" with all pages serially and permanently numbered, without mutilations or insertions.
- b. All blank spaces between successive entries should be cancelled as if they were deletions and authenticated with the inventors' initials and date.
- c. Precise descriptions of all actions and experiments carried out should be provided. Ideas or suggestions should be headlined as such, so as to clearly differentiate them from work actually performed.
- d. No abbreviations or terms, except where their use is standard practice in that particular discipline, should be used, unless clearly explained in a table at the front or back of the book.
- e. Crucial data or descriptions of experiments which relate to valuable inventions or discoveries should be signed and dated by the inventors, supervisor, or Investigators of the project.
- f. Modifications, if any, should be made by drawing a line through the deleted matter and writing 'cancelled' beside it. The corrected data (clearly marked as such) should be entered immediately below, authenticated by the inventors with initials and date.



- g.** Samples of new products or of products produced by a new method should be preserved if possible and photographed for the record. All photographs should be dated and signed by the inventors on the reverse.

6. CONFIDENTIALITY REQUIREMENTS

The inventors involved in the development of Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur -owned intellectual property should maintain strict confidentiality in dealing with all relevant information relating to the intellectual property concerned.

The following guidelines should be followed when dealing with confidential information in the context of third parties such as commercial organizations:

- a.** When a third party is interested in commercializing an item of intellectual property on offer after inspecting the relevant Technology Profile, they may apply for transfer of the technology. They will be required to demonstrate their capacity to commercialize the technology to the University's satisfaction. The University will then require the third party to sign contractual confidentiality or secrecy agreements undertaking to maintain the confidentiality of all information disclosed, before any further disclosure is made.
- b.** Third parties must obtain express authorization in writing from the Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur to commercialize/exploit the intellectual property. Confidentiality agreements will continue in force even if the commercialization process is aborted at any stage. However, it is recommended that no disclosure should be made if there is any doubt as to the outcome of the commercialization process.
- c.** Access to areas where Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur -owned intellectual property including confidential information is made available, seen or used, and to confidential documents, records, etc. is to be limited only to those who are inventors or are bound by confidentiality agreements.
- d.** Inventors and/or Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur personnel must take care not to disclose confidential details of the University-owned intellectual property in their publications, speeches, or other communications.

7. DISTRIBUTION OF PROCEEDS

The guideline for sharing the benefits generated from Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur -owned intellectual property will be as follows:

- Pt. Ravishankar Shukla University's share - 30%
- Inventors' share - 70%

In case there is a third party (i.e. funding agency), the University's and inventors' respective shares will be calculated on the net receipts after deducting the third party's share. The inventors may opt for his/her personal share to be retained by the University, e.g., to support his/her research. The inventors' share will continue to be paid irrespective of whether the individual continues in the employment of the University.



8. RIGHT TO REGULATE IPR POLICY OF PT. RAVISHANKAR SHUKLA UNIVERSITY, RAIPUR

The Advisory Committee of IPR Cell of University shall have the responsibility for interpreting the policy, resolving disputes concerning the interpretation and the university shall revise the regulation based upon the recommendations of different statutory bodies of government of India notifications time to time.


आदेशानुसार,
कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 7755 / अका. / 2018
प्रतिलिपि :

रायपुर, दिनांक 27 / 12 / 2018

- 01 आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी.-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
02. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
- 03 प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
04. समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
05. उ.कु.स. परीक्षा / उ.कु.स. गोपनीय / विकास / उ.कु.स. सामान्य प्रशासन / वित्त नियंत्रक,
06. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ. ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)
-P2



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), E-mail ID- academicprsu2@gmail.com

क्रमांक : 236 / अका. / 2020

रायपुर, दिनांक : 15 / 09 / 2020

॥ अधिसूचना ॥

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.09.2020 में अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय क्रमांक 3 में विनियम "Regulation relating to Examination during COVID-19 Pandemic (COVID-19 महामारी के दौरान परीक्षा से संबंधित विनियम) (Under the provisions of Ordinance 5)" की अनुशांसा का अनुमोदन कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.09.2020 में पूरक विषय सूची क्रमांक 01 में अनुमोदित किया गया है, जो निम्नांकित है -

Regulation No.-182 Regulation relating to Examination during COVID-19 Pandemic (COVID-19 महामारी के दौरान परीक्षा से संबंधित विनियम) (Under the provisions of Ordinance 5) (E.C. under 10-09-2020)

यह विनियम COVID-19 महामारी के संक्रमण के फलस्वरूप लाकडाउन होने के कारण स्थगित परीक्षाओं के आयोजन एवं परीक्षा-परिणाम के प्रावधानों को निर्दिष्ट करेगा।

1. परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।
2. वार्षिक परीक्षा के अंतर्गत अंतिम वर्ष तथा सेमेस्टर पद्धति अंतर्गत अंतिम सेमेस्टर एवं सभी कक्षाओं के स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के लिये परीक्षा का आयोजन निम्नानुसार किया जाएगा-
 - 2.1 जिन प्रश्नपत्रों की परीक्षा आयोजित हो चुकी है, उनका मूल्यांकन किया जाएगा तथा बचे हुए प्रश्नपत्रों की परीक्षा हेतु विद्यार्थियों को प्रश्नपत्र Online (E-mail आदि) पर भेजा जाएगा।
 - 2.2 परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर घर पर ही लिख कर भेजेंगे। उत्तर लिखने की समय सीमा एवं उत्तर भेजने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।
 - 2.3 निर्धारित अंतिम तिथि तक परीक्षार्थी उत्तर-पुस्तिका परीक्षा केंद्र में व्यक्तिगत जमा कर सकेंगे। विशेष परिस्थिति में Email अथवा परीक्षा-केंद्र पर स्पीड पोस्ट से पोस्ट करने का विकल्प दिया जाएगा।
 - 2.4 किसी भी कारण से परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित अथवा जारी परीक्षाफल से असंतुष्ट परीक्षार्थियों को परीक्षा में बैठने का एक अतिरिक्त अवसर दिया जाएगा। इसके लिए स्थितियाँ सामान्य होने पर विश्वविद्यालय द्वारा विशेष परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
3. नियमित परीक्षार्थियों हेतु वार्षिक परीक्षा पद्धति के अंतर्गत अंतिम वर्ष एवं सेमेस्टर परीक्षा पद्धति के अंतर्गत अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं हेतु वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा आयोजित नहीं करते हुए इन सभी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए अंकसूची/परीक्षाफल निम्नलिखित रीति से तैयार किया जाएगा-
 - 3.1 जिन प्रश्नपत्रों की परीक्षा आयोजित हो चुकी है, उनका मूल्यांकन किया जाएगा तथा बचे हुये प्रश्नपत्रों के प्राप्तांक की गणना गतवर्ष के प्राप्तांक/आंतरिक मूल्यांकन/असाइनमेंट कार्य के आधार पर की जाएगी तथापि गतवर्ष के प्राप्तांक को 50 प्रतिशत से अधिक अधिभार नहीं दिया जाएगा।
 - 3.2 प्रथम वर्ष/सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के बचे हुए प्रश्नपत्र/विषयों में प्राप्तांकों का निर्धारण आंतरिक मूल्यांकन/असाइनमेंट के आधार पर किया जाएगा।
 - 3.3 अन्य वर्ष/सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के बचे हुए प्रश्नपत्रों/विषयों में प्राप्तांक के 50% का निर्धारण विगत परीक्षा में प्रदर्शन एवं शेष 50% का निर्धारण उस प्रश्नपत्र/विषय के आंतरिक मूल्यांकन/असाइनमेंट के आधार पर किया जाएगा।
 - 3.3.1 जिन पाठ्यक्रमों में आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान है उन में प्राप्तांक के 50% का निर्धारण आंतरिक मूल्यांकन में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।

Sirao

3.3.2 जिन पाठ्यक्रमों में आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है उन में प्राप्तांक के 50% का निर्धारण असाइनमेंट के मूल्यांकन में प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाएगा।

तदनुसार यदि किसी प्रश्नपत्र/विषय में पूर्णांक 50 हो तो इसके 50% अर्थात् 25 अंक में प्राप्तांक का निर्धारण विगत परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर एवं शेष 25 अंक में प्राप्तांक का निर्धारण आंतरिक मूल्यांकन/असाइनमेंट के आधार पर किया जाएगा एवं दोनों के योग से उस प्रश्नपत्र/विषय में प्राप्तांक का निर्धारण किया जाएगा।


उदाहरणार्थ— यदि किसी परीक्षार्थी को विगत परीक्षा में कुल 900 अंकों में से 628 अंक प्राप्त हुए थे तथा वर्तमान में इस प्रश्नपत्र हेतु आंतरिक मूल्यांकन/असाइनमेंट में 50 अंकों में से 30 अंक प्राप्त हुए हैं तो इस परीक्षार्थी का इस प्रश्नपत्र में प्राप्तांक निम्नानुसार होगा—

(1)	प्रश्नपत्र के सैद्धांतिक भाग में पूर्णांक	50
(2)	विगत परीक्षा में प्राप्तांकों का प्रतिशत (दशमलव के दो अंकों तक सन्निकट मान)	69.78
(3)	इस आधार पर प्रश्नपत्र के 25 अंक में प्राप्तांक	17.45
(4)	आंतरिक मूल्यांकन/असाइनमेंट के 50 अंकों में प्राप्तांक	30
(5)	आंतरिक मूल्यांकन/असाइनमेंट के आधार पर प्रश्नपत्र के 25 अंक में प्राप्तांक	15
(6)	प्राप्तांक [(3) + (5)]	32.45
(5)	प्रश्नपत्र के सैद्धांतिक भाग 50 अंक में प्राप्तांक (पूर्णांक में सन्निकट मान)	32

3.4 उपर्युक्त पद्धति से जारी अंकसूची के स्थान पर यदि कोई विद्यार्थी श्रेणी सुधार करना चाहे, तो आगामी वर्ष/सेमेस्टर की विशेष परीक्षा की व्यवस्था की जाएगी।

4. प्रायोगिक परीक्षाओं में प्राप्तांक का निर्धारण: उपरोक्त सभी परीक्षाओं में जिन विषयों की प्रायोगिक परीक्षाएँ संपन्न हो चुकी हैं उनमें परीक्षा में प्राप्त अंक परीक्षार्थी को प्रदान किया जाएगा। जहाँ प्रायोगिक परीक्षा नहीं हो सकी है, वहाँ परीक्षार्थी के प्रायोगिक रिकार्ड एवं आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर प्राप्तांक का निर्धारण किया जाएगा।
5. उपर्युक्त व्यवस्था केवल शिक्षा सत्र 2019-20 के लिए प्रभावशील होगा।

आदेशानुसार,



11.9.20
कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 237 / अका. / 2020

रायपुर, दिनांक : 15/09/2020

प्रतिलिपि :

- माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
- सचिव, उच्च शिक्षा छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर
- आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी.-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
- अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
- प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
- समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
- उ.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय/विकास/उ.कु.स. सामान्य प्रशासन/वित्त नियंत्रक,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


11.9.20
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), E-mail ID- academicprsu2@gmail.com

क्रमांक : 2123/अका./2021

रायपुर, दिनांक 28.06.2021

॥ अधिसूचना ॥

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 17.06.2021 में पूरक विषय सूची क्रमांक-4 में विनियम "Regulation relating to Annual Examination 2021/Semester Examination December-January 2020-21 Conducts of Examination and Valuation (वार्षिक परीक्षा 2021/सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर-जनवरी 2020-21 के लिए परीक्षा एवं मूल्यांकन योजना से संबंधित विनियम) (Under the provisions of Ordinance 5)" की अनुशंसा का अनुमोदन कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 18.06.2021 में पूरक विषय-सूची क्रमांक-01 में अनुमोदित किया गया है, जो निम्नांकित है -

Regulation No.-182 A

**Regulation relating to Annual Examination 2021/Semester Examination
December-January 2020-21 Conducts of Examination and Valuation
(वार्षिक परीक्षा 2021/सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर-जनवरी 2020-21 के लिए परीक्षा एवं मूल्यांकन
योजना से संबंधित विनियम)
(Under the provisions of Ordinance 5)
(E.C. under 18-06-2021)**

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 17-1/2021/38-2, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 21.04.2021 के परिपालन एवं शिक्षा के गुणवत्ता तथा प्रतिस्पर्धा को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा सत्र 2020-21 के सेमेस्टर एवं वार्षिक परीक्षा के आयोजन एवं परीक्षा परिणाम हेतु निम्नानुसार प्रावधान लागू किया जाता है:-

- (1) परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।
- (2) वार्षिक परीक्षा तथा सेमेस्टर पद्धति की कक्षाओं के लिए परीक्षा का आयोजन निम्नानुसार किया जाएगा -
 - 2.1 जिन प्रश्नपत्रों की परीक्षा आयोजित हो चुकी है, उनका मूल्यांकन किया जाएगा तथा बचे हुए प्रश्नपत्रों की परीक्षा हेतु विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र Online (E-mail) आदि के माध्यम से भेजा जाएगा।
 - 2.2 परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर घर पर ही लिख कर भेजेंगे। उत्तर लिखने की समय-सीमा एवं उत्तर भेजने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- (3) वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा के लिए परीक्षाफल निम्नलिखित रीति से तैयार किया जाएगा -
 - 3.1 जिन प्रश्न-पत्रों की परीक्षा आयोजित हो चुकी है उनके वास्तविक प्राप्तांक की गणना की जाएगी।
 - 3.2 जिन प्रश्न-पत्रों की परीक्षा परीक्षार्थी द्वारा घर से दिया गया है उनमें प्रश्नपत्रवार अंक की गणना गत वर्ष के कुल प्राप्तांक के औसत का 50 प्रतिशत भार (Weightage) तथा वर्तमान परीक्षा (Exam From Home) के प्रश्न-पत्र के प्राप्तांक का 50 प्रतिशत भार (Weightage) देकर अंकगणना की जाएगी।
(वार्षिक परीक्षा हेतु Annexure - A, B, C तथा सेमेस्टर परीक्षा हेतु -
Annexure - D, E, F)

- 3.3 स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट वार्षिक/सेमेस्टर परीक्षा के प्रथम वर्ष/प्रथम सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा (Exam From Home) के प्रश्नपत्रवार प्राप्तांक के आधार पर अंक गणना की जाएगी।

Annexure –A (वार्षिक परीक्षा)

क्र.	कक्षा	पद्धति	उदाहरण
1	स्नातक तृतीय वर्ष (किसी प्रश्नपत्र/ विषय का अंक)	संबंधित प्रश्न-पत्र के पूर्णांक का 50 प्रतिशत Weightage – प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के कुल प्राप्तांक का औसत तथा 50 प्रतिशत Weightage – वर्तमान परीक्षा का	यदि किसी प्रश्न-पत्र का पूर्णांक 75 अंक है तो 37.5 अंक – स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष के प्राप्तांक का औसत $360/600+372/600=732/1200 =$ 61.00 प्रतिशत का Weightage अंक = 22.87 (23 अंक) तथा 37.5 अंक –प्रश्न-पत्र के प्राप्तांक $70/75=93.33$ प्रतिशत का Weightage अंक = 34.99 (35 अंक) इस प्रकार कुल $23+35= 58$ अंक प्राप्त होंगे।

Annexure –B (वार्षिक परीक्षा हेतु)

क्र.	कक्षा	पद्धति	उदाहरण
1	स्नातक द्वितीय वर्ष (किसी प्रश्न-पत्र/ विषय का अंक)	संबंधित प्रश्न-पत्र के पूर्णांक का 50 प्रतिशत Weightage – प्रथम वर्ष के प्राप्तांक तथा 50 प्रतिशत Weightage – वर्तमान परीक्षा/ असाइनमेंट कार्य का	यदि किसी प्रश्न-पत्र का पूर्णांक 100 अंक है तो 50 अंक – स्नातक प्रथम वर्ष के प्राप्तांक $400/600=66.67$ प्रतिशत का Weightage अंक $33.3 = 33$ अंक तथा 50 अंक – परीक्षा/असाइनमेंट के अंक $80/100=80$ प्रतिशत का Weightage अंक 40 । इस प्रकार कुल $33 + 40 =$ 73 अंक प्राप्त होंगे।

Annexure -C (वार्षिक परीक्षा हेतु)

क्र.	कक्षा	पद्धति	उदाहरण
1	स्नातकोत्तर अंतिम (किसी प्रश्न-पत्र/विषय का अंक)	संबंधित प्रश्न-पत्र के पूर्णांक का 50 प्रतिशत Weightage - स्नातकोत्तर पूर्व के प्राप्तांक तथा 50 प्रतिशत Weightage - वर्तमान परीक्षा का	यदि किसी प्रश्न-पत्र का पूर्णांक 100 अंक है तो 50 अंक - स्नातकोत्तर पूर्व के प्राप्तांक $400/500 = 80$ प्रतिशत का 50 अंक में Weightage अंक 40 तथा 50 अंक - परीक्षा के अंक $70/100$ अंक = 70 प्रतिशत का Weightage अंक - 35 / इस प्रकार कुल $40+35= 75/100$ अंक प्राप्त होंगे।

Annexure - D (सेमेस्टर परीक्षा हेतु)

क्र.	कक्षा	पद्धति	उदाहरण
1	तृतीय सेमेस्टर (किसी प्रश्न-पत्र/विषय का अंक)	संबंधित प्रश्न-पत्र के पूर्णांक का 50 प्रतिशत Weightage - प्रथम, द्वितीय सेमेस्टर के कुल प्राप्तांक का औसत तथा 50 प्रतिशत Weightage - उस विषय/प्रश्न-पत्र का वर्तमान प्राप्तांक	यदि प्रश्न-पत्र का पूर्णांक 80 है तो 40 अंक - प्रथम+द्वितीय सेमेस्टर के प्राप्तांक का औसत $300/500+400/500=700/1000 = 70$ प्रतिशत Weightage अंक = 28 अंक तथा 40 अंक - परीक्षा के प्राप्तांक $65/80 = 81.25$ प्रतिशत का Weightage अंक $32.5=33$ इस प्रकार सैद्धांतिक प्रश्न-पत्र के अंक $28+33 = 61/80$

Annexure -E (सेमेस्टर परीक्षा हेतु)


क्र.	कक्षा	पद्धति	उदाहरण
1	द्वितीय सेमेस्टर (किसी प्रश्न-पत्र /विषय का अंक)	संबंधित प्रश्न-पत्र के पूर्णांक का 50 प्रतिशत Weightage - प्रथम सेमेस्टर के कुल प्राप्तांक तथा 50 प्रतिशत Weightage - उस विषय/प्रश्न-पत्र का वर्तमान प्राप्तांक	यदि प्रश्न-पत्र का पूर्णांक 80 है तो 40 अंक - प्रथम सेमेस्टर के प्राप्तांक $300/500 = 60$ प्रतिशत का Weightage अंक = 24 अंक तथा 40 अंक - परीक्षा के प्राप्तांक $65/80= 81.25$ प्रतिशत का Weightage अंक $32.5= 33$ इस प्रकार सैद्धांतिक प्रश्न-पत्र के अंक $24+33 = 57/80$

Annexure – F (सेमेस्टर परीक्षा हेतु)

क्र.	कक्षा	पद्धति	उदाहरण
1	पंचम सेमेस्टर (किसी प्रश्न-पत्र विषय अंक)	संबंधित प्रश्न-पत्र के पूर्णांक का 50 प्रतिशत Weightage – प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के कुल प्राप्तांक का औसत तथा 50 प्रतिशत Weightage – वर्तमान प्रश्न-पत्र के परीक्षा का प्राप्तांक	यदि किसी प्रश्न-पत्र का पूर्णांक 50 है तो 25 अंक – प्रथम + द्वितीय + तृतीय+चतुर्थ सेमेस्टर के प्राप्तांक का औसत $300/500+310/500+325/500+340/500 = 1275/2000 = 63.75$ प्रतिशत का Weightage अंक 15.93 (16 अंक) तथा 25 अंक – परीक्षा के प्राप्तांक $42/50$ अंक = 84 प्रतिशत का Weightage अंक – 21 इस प्रकार कुल $16+21= 37/50$ अंक प्राप्त होंगे।

- (4) उक्त रीति से घोषित परीक्षा परिणाम में पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना की पात्रता नहीं होगी।
- (5) उपर्युक्त व्यवस्था केवल वार्षिक परीक्षा 2021 एवं सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर-जनवरी 2020-21 (एवं अन्य बचे हुए) के लिए प्रभावशील होगा।

आदेशानुसार,


 28.6.21
 कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 2124 अका./2021

रायपुर, दिनांक 28.06.2021

प्रतिलिपि :

- माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
- सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर
- आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी.-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
- अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय,
- समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
- उ.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय/विकास/उ.कु.स. सामान्य प्रशासन/वित्त नियंत्रक,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), E-mail ID- academicprsu2@gmail.com

क्रमांक : 474/अका./2021

रायपुर, दिनांक : 25.11.2021

॥ अधिसूचना ॥

विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 07.10.2021 में अध्यक्ष की अनुमति से विषय सूची क्रमांक-2 में "सेमेस्टर परीक्षा मई-जून 2021 के लिए परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति" से संबंधित विनियम की अनुशंसा का अनुमोदन कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 12.10.2021 की पूरक विषय-सूची क्रमांक-01 में अनुमोदित किया गया है, जो निम्नांकित है -

Regulation No.-182 B

सेमेस्टर परीक्षा मई-जून 2021 के लिए परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति
(Under the provisions of Ordinance 5)
(E.C. under 12-10-2021)

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 17-1/2021/38-2, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 21.04.2021 के परिपालन एवं विश्वविद्यालय Regulation No.-182 A के परिपालन एवं शिक्षा की गुणवत्ता तथा प्रतिस्पर्धा को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा सत्र 2020-21 के सेमेस्टर परीक्षा के आयोजन एवं परीक्षा परिणाम हेतु निम्नानुसार प्रावधान लागू किया जाता है-

- (1) परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।
- (2) सेमेस्टर पद्धति की कक्षाओं के लिए परीक्षा का आयोजन निम्नानुसार किया जाएगा-
 - 2.1 निर्धारित परीक्षा दिवस में विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र Online (E-mail) आदि के माध्यम से भेजा जाएगा।
 - 2.2 परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर घर पर ही लिख कर भेजेंगे। उत्तर लिखने की समय-सीमा एवं उत्तर भेजने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- (3) सेमेस्टर परीक्षा के लिए परीक्षाफल निम्नलिखित रीति से तैयार किया जाएगा -
 - 3.1 प्रश्नपत्रवार अंक की गणना गत वर्ष के कुल प्राप्तांक के औसत का 50 प्रतिशत भार (Weightage) तथा वर्तमान परीक्षा (Exam from Home) के प्रश्न-पत्र के प्राप्तांक का 50 प्रतिशत भार (Weightage) देकर अंक गणना की जाएगी।
 - 3.2 स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट सेमेस्टर परीक्षा के प्रथम सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा (Exam from Home) के प्रश्नपत्रवार प्राप्तांक के आधार पर अंक गणना की जाएगी।

Annexure - A (सेमेस्टर परीक्षा हेतु)

क्र.	कक्षा	पद्धति	उदाहरण
1	तृतीय सेमेस्टर (किसी प्रश्न-पत्र/विषय का अंक)	संबंधित प्रश्न-पत्र के पूर्णांक का 50 प्रतिशत Weightage - प्रथम, द्वितीय सेमेस्टर के कुल प्राप्तांक का औसत तथा 50 प्रतिशत Weightage - उस विषय/प्रश्न-पत्र का वर्तमान प्राप्तांक	यदि प्रश्न-पत्र का पूर्णांक 80 है तो 40 अंक - प्रथम+द्वितीय सेमेस्टर के प्राप्तांक का औसत $300/500+400/500=700/1000=70$ प्रतिशत Weightage अंक = 28 अंक तथा 40 अंक - परीक्षा के प्राप्तांक $65/80 = 81.25$ प्रतिशत का 50 Weightage अंक $32.5 = 33$ इस प्रकार सैद्धांतिक प्रश्न-पत्र के अंक $28+33 = 61/80$

Annexure - B (सेमेस्टर परीक्षा हेतु)


क्र.	कक्षा	पद्धति	उदाहरण
1	द्वितीय सेमेस्टर (किसी प्रश्न-पत्र/ विषय का अंक)	संबंधित प्रश्न-पत्र के पूर्णांक का 50 प्रतिशत Weightage - प्रथम सेमेस्टर के कुल प्राप्तांक का औसत तथा 50 प्रतिशत Weightage - उस विषय/प्रश्न-पत्र का वर्तमान प्राप्तांक	यदि प्रश्न-पत्र का पूर्णांक 80 है तो 40 अंक - प्रथम सेमेस्टर के प्राप्तांक का औसत $300/500 = 60$ प्रतिशत Weightage अंक = 24 अंक तथा 40 अंक - परीक्षा के प्राप्तांक $65/80$ $= 81.25$ प्रतिशत का 50 Weightage अंक $32.5 = 33$ इस प्रकार सैद्धांतिक प्रश्न-पत्र के अंक $24+33 = 57/80$

Annexure - C (सेमेस्टर परीक्षा हेतु)

क्र.	कक्षा	पद्धति	उदाहरण
1	चतुर्थ सेमेस्टर (किसी प्रश्न-पत्र/ विषय का अंक)	संबंधित प्रश्न-पत्र के पूर्णांक का 50 प्रतिशत Weightage - प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर के कुल प्राप्तांक का औसत तथा 50 प्रतिशत Weightage - वर्तमान प्रश्न-पत्र के प्राप्तांक	यदि प्रश्न-पत्र का पूर्णांक 50 है तो 25 अंक - प्रथम+द्वितीय+तृतीय सेमेस्टर के प्राप्तांक का औसत $300/500+310/500+325/500=$ $935/1500 = 62.33$ प्रतिशत का Weightage अंक = 15.58 (16 अंक) तथा 25 अंक - परीक्षा के प्राप्तांक $42/50$ $= 84$ प्रतिशत का Weightage अंक- 21 इस प्रकार कुल $16+21 =$ $37/50$ अंक प्राप्त होंगे।

- (4) उक्त रीति से घोषित परीक्ष परिणाम में पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना की पात्रता नहीं होगी।
(5) उपर्युक्त व्यवस्था केवल सेमेस्टर परीक्षा मई-जून 2021 के लिए प्रभावशील होगा।

आदेशानुसार,



23.11.21
कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 475/अका./2021

रायपुर, दिनांक : 25.11.2021

प्रतिलिपि :

- माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
- सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर
- आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी.-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
- अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय,
- समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
- उ.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय/विकास/उ.कु.स. सामान्य प्रशासन/वित्त नियंत्रक,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. यदुशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), E-mail ID- academicprsu2@gmail.com

क्रमांक : 10/2/अका./2022

रायपुर, दिनांक 21.01.2022

॥ अधिसूचना ॥

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 21.01.2022 में छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 17-04/2022/38-1, दिनांक 13.01.2022 के परिपालन एवं शिक्षा की गुणवत्ता तथा प्रतिस्पर्धा को दृष्टिगत रखते हुए सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2021-जनवरी 2022 के आयोजन, मूल्यांकन एवं परिणाम पद्धति के लिए विनियम क्रमांक-182 C का अनुमोदन कार्यपरिषद् की आपात बैठक दिनांक 21.01.2022 में किया गया है, जो निम्नांकित है -

Regulation No.-182 C

सेमेस्टर परीक्षा दिसंबर 2021-जनवरी 2022 परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति (Under the Provisions of Ordinance 5)

(E.C. - 21-01-2022)

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 17-04/2022/38-1, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 13/01/2022 विश्वविद्यालय Regulation No.-182 B के परिपालन एवं शिक्षा की गुणवत्ता तथा प्रतिस्पर्धा को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा सत्र 2021-22 के सेमेस्टर परीक्षा के आयोजन एवं परीक्षा परिणाम हेतु निम्नानुसार प्रावधान लागू किया जाना प्रस्तावित -

- (1) परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।
- (2) सेमेस्टर पद्धति की कक्षाओं के लिए परीक्षा का आयोजन निम्नानुसार किया जाएगा-
 - 2.1 निर्धारित परीक्षा दिवस में विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र Online (E-mail) आदि के माध्यम से भेजा जाएगा।
 - 2.2 परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर घर पर ही लिख कर भेजेंगे। उत्तर लिखने की समय-सीमा एवं उत्तर भेजने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- (3) सेमेस्टर परीक्षा के लिए परीक्षाफल निम्नलिखित रीति से तैयार किया जाएगा -
 - 3.1 प्रश्नपत्रवार अंक की गणना गत वर्ष के कुल प्राप्तांक के औसत का 50 प्रतिशत भार (Weightage) तथा वर्तमान परीक्षा (Exam from Home) के प्रश्न-पत्र के प्राप्तांक का 50 प्रतिशत भार (Weightage) देकर अंक गणना की जाएगी।
 - 3.2 स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट सेमेस्टर परीक्षा के प्रथम सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा (Exam from Home) के प्रश्नपत्रवार प्राप्तांक के आधार पर अंक गणना की जाएगी।

Annexure - A (सेमेस्टर परीक्षा हेतु)

क्र.	कक्षा	पद्धति	उदाहरण
1	तृतीय सेमेस्टर (किसी प्रश्न-पत्र/विषय का अंक)	संबंधित प्रश्न-पत्र के पूर्णांक का 50 प्रतिशत Weightage - प्रथम, द्वितीय सेमेस्टर के कुल प्राप्तांक का औसत तथा 50 प्रतिशत Weightage - उस विषय/प्रश्न-पत्र का वर्तमान प्राप्तांक	यदि प्रश्न-पत्र का पूर्णांक 80 है तो 40 अंक - प्रथम+द्वितीय सेमेस्टर के प्राप्तांक का औसत $300/500+400/500=700/1000 = 70$ प्रतिशत Weightage अंक = 28 अंक तथा 40 अंक - परीक्षा के प्राप्तांक $65/80 = 81.25$ प्रतिशत का Weightage अंक $32.5 = 33$ इस प्रकार सैद्धांतिक प्रश्न-पत्र के अंक $28+33 = 61/80$

Annexure – B (सेमेस्टर परीक्षा हेतु)


क्र.	कक्षा	पद्धति	उदाहरण
1	द्वितीय सेमेस्टर (किसी प्रश्न-पत्र/विषय का अंक)	संबंधित प्रश्न-पत्र के पूर्णांक का 50 प्रतिशत Weightage – प्रथम सेमेस्टर के कुल प्राप्तांक का औसत तथा 50 प्रतिशत Weightage – उस विषय/प्रश्न-पत्र का वर्तमान प्राप्तांक	यदि प्रश्न-पत्र का पूर्णांक 80 है तो 40 अंक – प्रथम सेमेस्टर के प्राप्तांक का औसत $300/500 = 60$ प्रतिशत Weightage अंक = 24 अंक तथा 40 अंक – परीक्षा के प्राप्तांक $65/80 = 81.25$ प्रतिशत का Weightage अंक $32.5 = 33$ इस प्रकार सैद्धांतिक प्रश्न-पत्र के अंक $24+33 = 57/80$

Annexure – C (सेमेस्टर परीक्षा हेतु)

क्र.	कक्षा	पद्धति	उदाहरण
1	पंचम सेमेस्टर (किसी प्रश्न-पत्र/विषय का अंक)	संबंधित प्रश्न-पत्र के पूर्णांक का 50 प्रतिशत Weightage – प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर के कुल प्राप्तांक का औसत तथा 50 प्रतिशत Weightage – वर्तमान प्रश्न-पत्र के प्राप्तांक	यदि किसी प्रश्न-पत्र का पूर्णांक 50 है तो 25 अंक – प्रथम+द्वितीय+तृतीय+चतुर्थ सेमेस्टर के प्राप्तांक का औसत $300/500+310/500+325/500+340/500 = 1275/2000 = 63.75$ प्रतिशत का Weightage अंक 15.93 (16 अंक) तथा 25 अंक – परीक्षा के प्राप्तांक $42/50$ अंक = 84 प्रतिशत का Weightage अंक – 21 इस प्रकार कुल $16+21 = 37/50$ अंक प्राप्त होंगे।

- (4) उक्त रीति से घोषित परीक्षा परिणाम में पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना की पात्रता नहीं होगी।
- (5) उपर्युक्त व्यवस्था केवल सेमेस्टर परीक्षा (I, III, V, VII, IX के नियमित/भूतपूर्व/ए.टी.के.टी एवं II, IV, VI, VIII, X के ए.टी.के.टी.) दिसंबर 2021-जनवरी 2022 के लिए प्रभावशील होगी।


आदेशानुसार,


21.1.22
कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 10/3/अका./2022
प्रतिलिपि :

रायपुर, दिनांक : 21.01.2022

- माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
- सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर
- आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी.-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
- अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय,
- समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
- उ.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय/विकास/उ.कु.स. सामान्य प्रशासन/वित्त नियंत्रक,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), E-mail ID- academicprsu2@gmail.com

क्रमांक : 1425/अका./2022

रायपुर, दिनांक : 01.04.2022

॥ अधिसूचना ॥

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 01/04/2022 में छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-33/2020/38-1 दिनांक 28/03/2022 के परिपालन एवं शिक्षा की गुणवत्ता तथा प्रतिस्पर्धा को दृष्टिगत रखते हुए वार्षिक परीक्षा मार्च-अप्रैल 2022 के आयोजन, मूल्यांकन एवं परिणाम पद्धति के लिए विनियम क्रमांक - 182 D का अनुमोदन कार्यपरिषद् की आपात बैठक दिनांक 01/04/2022 में किया गया है, जो निम्नांकित है -

Regulation No. - 182 D

वार्षिक परीक्षा मार्च-अप्रैल 2022 परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति
(Under the Provision of Ordinance 5)
(E.C. 01.04.2022)

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-33/2020/38-1, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 28/03/2022 के परिपालन एवं शिक्षा की गुणवत्ता तथा प्रतिस्पर्धा को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा सत्र 2021-22 के वार्षिक परीक्षा के आयोजन एवं परीक्षा परिणाम हेतु निम्नानुसार प्रावधान लागू किया जाना प्रस्तावित -

- (1) परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी।
- (2) वार्षिक पद्धति की कक्षाओं के लिए परीक्षा का आयोजन निम्नानुसार किया जाएगा -
 - 2.1 निर्धारित परीक्षा दिवस में विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र Online (E-mail/Whatsapp) आदि के माध्यम से भेजा जाएगा।
 - 2.2 परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर घर अथवा सुलभ स्थान पर लिख कर भेजेंगे। उत्तर लिखने की समय-सीमा एवं उत्तर भेजने की तिथि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- (3) वार्षिक परीक्षा के लिए परीक्षाफल निम्नलिखित रीति से तैयार किया जाएगा -
 - 3.1 प्रश्नपत्रवार अंक की गणना गत वर्ष के कुल प्राप्तांक के औसत का 50 प्रतिशत भार (Weightage) तथा वर्तमान परीक्षा (Exam from Home) के प्रश्न-पत्र के प्राप्तांक का 50 प्रतिशत भार (Weightage) देकर अंक गणना की जाएगी।
 - 3.2 स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट परीक्षा के प्रथम वर्ष के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा (Exam from Home) के प्रश्नपत्रवार प्राप्तांक के आधार पर अंक गणना की जाएगी।

Annexure -A (वार्षिक परीक्षा)

क्र.	कक्षा	पद्धति	उदाहरण
1	स्नातक तृतीय वर्ष (किसी प्रश्न-पत्र/विषय का अंक	संबंधित प्रश्न-पत्र के पूर्णांक का 50 प्रतिशत Weightage - प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के कुल प्राप्तांक का औसत तथा 50 प्रतिशत Weightage - विषय/प्रश्न पत्र का प्राप्तांक	यदि किसी प्रश्न-पत्र का पूर्णांक 75 अंक है तो 37.5 अंक - स्नातक प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष के प्राप्तांक का औसत $360/600+372/600=732/1200=61.00$ प्रतिशत का Weightage अंक =22.87 (23 अंक) तथा 37.5 अंक - प्रश्न-पत्र के प्राप्तांक $70/75=93.33$ प्रतिशत का Weightage अंक = 34.99 (35 अंक) इस प्रकार कुल $23+35=58$ अंक प्राप्त होंगे।

Annexure –B (वार्षिक परीक्षा)


क्र.	कक्षा	पद्धति	उदाहरण
1	स्नातक द्वितीय वर्ष (किसी प्रश्न-पत्र /विषय का अंक)	संबंधित प्रश्न-पत्र के पूर्णांक का 50 प्रतिशत Weightage – प्रथम वर्ष के प्राप्तांक तथा 50 प्रतिशत Weightage – विषय/प्रश्न पत्र का प्राप्तांक	यदि किसी प्रश्न-पत्र का पूर्णांक 100 अंक है तो 50 अंक – स्नातक प्रथम वर्ष के प्राप्तांक $400/600 = 66.67$ प्रतिशत का Weightage अंक 33.3 $= 33$ अंक तथा 50 अंक – परीक्षा के प्राप्तांक $80/100 = 80$ प्रतिशत का Weightage अंक-40, इस प्रकार कुल $33+40=73$ अंक प्राप्त होंगे।

Annexure –C (वार्षिक परीक्षा हेतु)

क्र.	कक्षा	पद्धति	उदाहरण
1	स्नातकोत्तर अंतिम (किसी प्रश्न-पत्र/विषय का अंक)	संबंधित प्रश्न-पत्र के पूर्णांक का 50 प्रतिशत Weightage – स्नातकोत्तर पूर्व के प्राप्तांक तथा 50 प्रतिशत Weightage – विषय/प्रश्न पत्र का प्राप्तांक	यदि किसी प्रश्न-पत्र का पूर्णांक 100 है तो 50 अंक – स्नातकोत्तर पूर्व के प्राप्तांक $400/500 = 80$ प्रतिशत का 50 अंक में Weightage अंक = 40 तथा 50 अंक – परीक्षा के अंक $70/100$ अंक = 70 प्रतिशत का Weightage अंक – 35, इस प्रकार कुल $40+35$ $= 75/100$ अंक प्राप्त होंगे।

- (4) उक्त रीति से घोषित परीक्षा परिणाम में पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना की पात्रता नहीं होगी।
(5) उपर्युक्त व्यवस्था केवल शिक्षा सत्र 2021-22 की वार्षिक परीक्षा मार्च-अप्रैल 2022 के लिए प्रभावशील होगी।

आदेशानुसार,



कुलसचिव

पृ. क्रमांक : /426/ अका./2022
प्रतिलिपि :

रायपुर, दिनांक : 01.04.2022

- माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
- सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर
- आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी.-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
- अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय,
- समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
- उ.कु.स. सामान्य प्रशासन/परीक्षा/विकास/स.कु.स. गोपनीय /वित्त नियंत्रक,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

01.04.22
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), E-mail ID- academicprsu2@gmail.com

क्रमांक : 1757/अका./2022

रायपुर, दिनांक : 06.06.2022

॥ अधिसूचना ॥

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 02/06/2022 में छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-33/2020/38-1 दिनांक 28/03/2022 के परिपालन में सेमेस्टर परीक्षा मई-जून 2022 के आयोजन, मूल्यांकन एवं परिणाम पद्धति के लिए विनियम क्रमांक - 182 E का अनुमोदन कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 03/06/2022 में किया गया है, जो निम्नांकित है -

Regulation No. 182 E

सेमेस्टर परीक्षा एवं मूल्यांकन पद्धति
(Under the Provisions of Ordinance 5)
(E.C. - 03-06-2022)

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 3-33/2020/38-1, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 28/03/2022 एवं विश्वविद्यालय Regulation No.-182 C के परिपालन तथा शिक्षा की गुणवत्ता तथा प्रतिस्पर्धा को दृष्टिगत रखते हुए शिक्षा सत्र 2021-22 के सेमेस्टर परीक्षा के आयोजन एवं परीक्षा परिणाम हेतु निम्नानुसार प्रावधान लागू किया जाना प्रस्तावित -

- (1) सेमेस्टर पद्धति की कक्षाओं के लिए परीक्षा का आयोजन निम्नानुसार किया जाएगा -
 - 1.1 निर्धारित परीक्षा दिवस में विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र Online (E-mail) आदि के माध्यम से भेजा जाएगा।
 - 1.2 परीक्षार्थी प्रश्नों के उत्तर घर पर ही लिख कर भेजेंगे। उत्तर लिखने की समय-सीमा एवं उत्तर भेजने की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- (2) सेमेस्टर परीक्षा के लिए परीक्षाफल निम्नलिखित रीति से तैयार किया जाएगा -
 - 2.1 प्रश्नपत्रवार अंक की गणना गत वर्ष के कुल प्राप्तांक के औसत का 50 प्रतिशत भार (Weightage) तथा वर्तमान परीक्षा (Exam from Home) के प्रश्न-पत्र के प्राप्तांक का 50 प्रतिशत भार (Weightage) देकर अंक गणना की जाएगी।
 - 2.2 स्नातक/स्नातकोत्तर/डिप्लोमा/सर्टिफिकेट सेमेस्टर परीक्षा के प्रथम सेमेस्टर के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा (Exam from Home) के प्रश्नपत्रवार प्राप्तांक के आधार पर अंक गणना की जाएगी।

Annexure - A (सेमेस्टर परीक्षा हेतु)

क्र.	कक्षा	पद्धति	उदाहरण
1	द्वितीय सेमेस्टर (किसी प्रश्न-पत्र/विषय का अंक)	संबंधित प्रश्न-पत्र के पूर्णांक का 50 प्रतिशत Weightage - प्रथम सेमेस्टर के कुल प्राप्तांक का औसत तथा 50 प्रतिशत Weightage - उस विषय/प्रश्न-पत्र का वर्तमान प्राप्तांक	यदि प्रश्न-पत्र का पूर्णांक 80 है तो 40 अंक - प्रथम सेमेस्टर के प्राप्तांक का औसत $300/500 = 60$ प्रतिशत Weightage अंक = 24 अंक तथा 40 अंक - परीक्षा के प्राप्तांक $65/80 = 81.25$ प्रतिशत का Weightage अंक $32.5 = 33$ इस प्रकार सैद्धांतिक प्रश्न-पत्र के अंक $24+33 = 57/80$

Annexure – B (सेमेस्टर परीक्षा हेतु)

क्र.	कक्षा	पद्धति	उदाहरण
1	चतुर्थ सेमेस्टर (किसी प्रश्न-पत्र/विषय का अंक)	संबंधित प्रश्न-पत्र के पूर्णांक का 50 प्रतिशत Weightage – प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय सेमेस्टर के कुल प्राप्तांक का औसत तथा 50 प्रतिशत Weightage – वर्तमान प्रश्न-पत्र के प्राप्तांक	यदि किसी प्रश्न-पत्र का पूर्णांक 50 है तो 25 अंक – प्रथम+द्वितीय+तृतीय सेमेस्टर के प्राप्तांक का औसत $300/500+310/500+325/500 = 935/1500 = 62.33$ प्रतिशत का Weightage अंक 15.58 (16 अंक) तथा 25 अंक – परीक्षा के प्राप्तांक 42/50 अंक = 84 प्रतिशत का Weightage अंक – 21 इस प्रकार कुल 16+21 = 37/50 अंक प्राप्त होंगे।

Annexure – C (सेमेस्टर परीक्षा हेतु)

क्र.	कक्षा	पद्धति	उदाहरण
1	तृतीय सेमेस्टर (किसी प्रश्न-पत्र/विषय का अंक)	संबंधित प्रश्न-पत्र के पूर्णांक का 50 प्रतिशत Weightage – प्रथम, द्वितीय सेमेस्टर के कुल प्राप्तांक का औसत तथा 50 प्रतिशत Weightage – उस विषय/प्रश्न-पत्र का वर्तमान प्राप्तांक	यदि प्रश्न-पत्र का पूर्णांक 80 है तो 40 अंक – प्रथम+द्वितीय सेमेस्टर के प्राप्तांक का औसत $300/500+400/500=700/1000 = 70$ प्रतिशत Weightage अंक = 28 अंक तथा 40 अंक – परीक्षा के प्राप्तांक 65/80 = 81.25 प्रतिशत का Weightage अंक 32.5 = 33 इस प्रकार सैद्धांतिक प्रश्न-पत्र के अंक 28+33 = 61/80

- (3) उक्त रीति से घोषित परीक्षा परिणाम में पुनर्मूल्यांकन एवं पुनर्गणना की पात्रता नहीं होगी।
 (4) उपर्युक्त व्यवस्था केवल सेमेस्टर परीक्षा (II, IV, VI, VIII, X के नियमित/भूतपूर्व/ए.टी.के. टी एवं I, III, V, VII, IX के ए.टी.के.टी.) मई-जून 2022 के लिए प्रभावशील होगी।

आदेशानुसार,

S. Patel
 01/6/22
 कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 1758/अका./2022
 प्रतिलिपि :

रायपुर, दिनांक : 09.06.2022

- माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर (छ.ग.)
- सचिव, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़ शासन, महानदी भवन, मंत्रालय, अटल नगर, नवा रायपुर
- आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी.-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
- अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर
- प्राचार्य, समस्त संबद्ध महाविद्यालय,
- समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
- उ.कु.स. सामान्य प्रशासन/परीक्षा/विकास/स.कु.स. गोपनीय/वित्त नियंत्रक,
- कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निज सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

S. Patel
 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), E-mail ID- academicprsu2@gmail.com

क्रमांक : 232 / अका. / 2020

रायपुर, दिनांक : 15 / 09 / 2020

॥ अधिसूचना ॥

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 09.09.2020 में अध्यक्ष के अनुमति से अन्य निर्णय क्रमांक 2 में विनियम "समझौता-ज्ञापन Memorandum of Understanding (MoU)" की अनुशंसा का अनुमोदन कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.09.2020 में पूरक विषय सूची क्रमांक 01 में अनुमोदित किया गया है, जो निम्नांकित है -

विनियम क्रमांक-183

समझौता-ज्ञापन

Memorandum of Understanding (MoU) (EC Under 10-09-2020)

- बदलते वैश्विक परिदृश्य में समझौता-ज्ञापन (Memorandum of Understanding, (MoU)) एक दैनंदिनी कार्य एवं आवश्यकता हो गई है।
- विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं शोध गतिविधियों तथा अध्यापकों की कार्यकुशलता/गुणवत्ता में परिवर्धन (उन्नयन) के लिए विभिन्न राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के साथ सहभागिता बढ़ाने के लिए MoU की आवश्यकता होती है।
- इस हेतु एक पृथक रेग्यूलेशन/विनियम का निर्माण उचित होगा।
- विभिन्न MoU में विश्वविद्यालय की अधोसंरचना एवं विश्वविद्यालय के नाम का सार्वजनिक उपयोग होता है।
- विनियम में निम्नलिखित का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है -
 - प्रस्तावित आय एवं प्रस्तावित व्यय (विश्वविद्यालय पर आवर्ती वित्तीय भार नहीं होना चाहिए)
 - सभी MoU कुलपति के अनुमोदन के उपरांत कार्यपरिषद् से अनुमोदन/कार्योत्तर अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
 - सभी MoU संबंधित शिक्षक, संबंधित विभाग के अध्यक्ष, अधिष्ठाता एवं कुलपति की उपस्थिति में कुलसचिव द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा एवं सभी संदर्भितों को सूचित किया जाएगा।
 - MoU के बारे में विस्तृत जानकारी विश्वविद्यालय को पूर्व में ही उपलब्ध कराई जाएगी यथा -
 - उद्देश्य, कार्यक्षेत्र एवं समय-सीमा
 - प्रथम पक्ष (विश्वविद्यालय के विभाग एवं संबंधित शिक्षक) एवं द्वितीय पक्ष (संस्था) के बारे में विस्तृत जानकारी
 - बौद्धिक संपदा, प्रकाशन, एवं तकनीकी हस्तांतरण की शर्तें पूर्व में ही तय करना होगा।
 - वित्तीय प्रबंधन की शर्तें पूर्व में ही तय करनी होगी।
 - विभाग/विश्वविद्यालय की अधोसंरचना के उपयोग, यदि प्रस्तावित है, तो उस के संबंध में विस्तृत टीप।
 - विश्वविद्यालय, विभाग, शिक्षकों, एवं छात्रों को क्या लाभ होगा इस हेतु विस्तृत टीप।

- सभी MoU को संचालित करने हेतु एक प्रकोष्ठ का गठन उचित होगा, जो निम्नलिखित कार्य संपादित करेगा –
 - वार्षिक प्रतिवेदन।
 - वार्षिक समीक्षा।

- एक Model MoU का निर्माण किया जाना उचित होगा।

समझौता-ज्ञापन प्रबंधीकरण विनियम

(Memorandum of Understanding Management Regulation)


(वि.वि. अधिनियम 1973 की धारा 6 के प्रावधान के अंतर्गत निर्मित)

1. उद्देश्य – विश्वविद्यालय में होने वाले समझौता-ज्ञापनों में एकरूपता बनाए रखने के लिए इस विनियम का निर्माण किया गया है।
2. नाम – इस विनियम को “समझौता-ज्ञापन प्रबंधीकरण विनियम” के रूप में जाना जाएगा।
3. प्रारूप – इस विनियम के अधीन MoU का प्रारूप मान्य किया जाएगा जो निम्नलिखित कंडिकाओं को समाहित करते हुए तैयार किया गया हो :-
 - 3.1 MoU एक सामान्य लिखित समझौते के रूप में तैयार किया जाएगा।
 - 3.2 MoU कुलपति द्वारा गठित कमेटी द्वारा अनुशंसित की जाएगी।
 - 3.3 संस्थाओं के मध्य कार्य संबंध एवं निर्देशों को साझा करने का प्रावधान किया जाना चाहिए।
 - 3.4 MoU समान अवसर एवं समान महत्व को प्रदान करने वाला होना चाहिए।
 - 3.5 समस्त प्रभावित पक्ष को MoU की शर्तें एवं लाभ से स्पष्ट रूप में MoU के माध्यम से अवगत कराना चाहिए।
 - 3.6 MoU में अधिकार एवं दायित्व का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए।
 - 3.7 MoU में क्षेत्र, समय, एवं औचित्य का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
 - 3.8 MoU के प्रभावी रहने एवं समाप्ति की शर्तें, कारण एवं अवधि का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए।
 - 3.9 विश्वविद्यालय की ओर से MoU निष्पादित करने का अधिकार कुलसचिव को ही होगा।
 - 3.10 MoU में किए जाने वाले कार्य का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
 - 3.11 MoU पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय के विकास एवं अकादमिक विकास के लिए होना चाहिए।
 - 3.12 MoU करने वाले पक्षों का उद्देश्य एवं लक्ष्य का स्पष्ट निर्धारण होना चाहिए।
 - 3.13 MoU को एक पक्षीय समाप्त करने का स्पष्ट प्रावधान होना चाहिए।
 - 3.14 पक्षों के मध्य सामंजस्य बनाए रखने के लिए नियमित बैठकों इत्यादि का उल्लेख होना चाहिए।
 - 3.15 पक्षों के मध्य आर्थिक पक्ष के वहन करने के संबंध में प्रावधान का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
 - 3.16 प्रकाशन, बौद्धिक संपदा एवं कॉपीराइट के संबंध में भी MoU में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।



4. सक्षम अधिकारी – MoU करने के लिए विश्वविद्यालय के कुलसचिव सक्षम अधिकारी होंगे।
5. अनुमोदन – MoU करने के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा इसके अनुमोदन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। MoU करने के लिए, विश्वविद्यालय के कुलपति अथवा कार्यपरिषद् अपने वित्तीय अधिकार की सीमा में जैसा प्रावधानित हो, अनुमोदन प्रदान कर सकेंगे।
6. निरसन – MoU को समस्त पक्षों की लिखित सहमति से निरस्त किया जा सकेगा। इस का समझौते में उल्लेख किया जाना चाहिए।
7. वाद – MoU के संबंध में समस्त वाद विश्वविद्यालय के मुख्यालय में स्थित न्यायालय में किया जा सकेगा। इस का समझौते में उल्लेख किया जाना चाहिए।
8. संचालन – विश्वविद्यालय की ओर से किए जाने वाले समस्त प्रकार के MoU का प्रबंधन एवं संचालन विश्वविद्यालय के द्वारा निर्धारित प्रकोष्ठ द्वारा किया जाएगा।

आदेशानुसार,



कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 233 / अका. / 2020

रायपुर, दिनांक : 15/09/2020

प्रतिलिपि :

- 01 आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी.-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
02. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
- 03 प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
04. समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
05. उ.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय/विकास/उ.कु.स. सामान्य प्रशासन/वित्त नियंत्रक,
06. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), E-mail ID- academicprsu2@gmail.com

क्रमांक : 239 / अका. / 2020

रायपुर, दिनांक : 15/09/2020

॥ अधिसूचना ॥

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 10.09.2020 में पूरक विषय सूची निर्णय क्रमांक 4 में विनियम "कायिक निधि (कॉरपस फंड)" का अनुमोदन किया गया है, जो निम्नांकित है -

विनियम क्रमांक-184
कायिक निधि (कॉरपस फंड)
(विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 24 के प्रावधान के अंतर्गत)
(EC under 10-09-2020)


1. नाम : यह विनियम 'कायिक निधि (कॉरपस फंड) विनियम' के नाम से जाना जाएगा।
2. क्षेत्र : इस विनियम का प्रभाव क्षेत्र विश्वविद्यालय परिक्षेत्र होगा।
3. मद : इस निधि का एक बैंक खाता होगा, जिसे पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय कायिक निधि (कॉरपस फंड) खाता के नाम से परिचालित किया जाएगा।
4. उद्देश्य : (1) इस संचित निधि का उपयोग विश्वविद्यालय की दूरगामी परियोजनाओं की स्थापना हेतु एवं आपात स्थिति में, उधार प्राप्त करने में होगा।
(2) सामान्यतः इस निधि से प्राप्त वार्षिक ब्याज की 50 प्रतिशत राशि को विश्वविद्यालय के विकास हेतु व्यय किया जाएगा, जैसा कि कुलपति उचित समझे। इस हेतु उन विभागों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिन विभागों से आय प्राप्त होती है।
5. निधि : इस मद में निम्न रीतियों से राशि की व्यवस्था की जाएगी -
 1. दान से, गैर आवासीय भवनों से प्राप्त सुविधा शुल्क/रख-रखाव शुल्क से, रद्दी के विक्रय से।
 2. गैर अनुदान मद के विश्वविद्यालय खाते में प्राप्त ब्याज की राशि से।
 3. अन्य उपायों से, जो कंडिका 8(3) में नियुक्त सभिति के सुझाव जिसे कुलपति द्वारा अनुमोदन किया गया हो।
 4. विश्वविद्यालय में संचालित स्ववित्तीय पाठ्यक्रम हेतु निर्मित परिनियम के प्रावधानानुसार विभाग को प्राप्त राशि का 20% प्रशासनिक शुल्क से।

6. निधि का परिचालन :

1. बैंक के बचत खाता में जमा राशि को प्रति माह अधिकतम ब्याज दर पर सावधि जमा में नियोजित किया जाएगा।
2. सावधि जमा के ब्याज की राशि प्रतिमाह इस निधि के खाते में जमा किया जाएगा।
3. सावधि निधि के परिचालन हेतु सुझाव, परिवर्धन, संशोधन, एवं निरसन हेतु एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे –
अ- कुलपति द्वारा नामांकित दो सदस्य (जो प्राध्यापक स्तर का हो), जिनमें से एक को समिति के अध्यक्ष के रूप में कुलपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा।
ब- कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर – सदस्य
स- वित्त नियंत्रक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर – सदस्य सचिव
4. समिति की बैठक सामान्य रूप से प्रत्येक वर्ष के अप्रैल एवं अक्टूबर माह में अथवा आवश्यकतानुसार कुलपति के अनुमोदन से आयोजित की जा सकेगी।
5. इस निधि के उन्नयन एवं विस्तार के लिए समिति के सचिव के माध्यम से प्रस्ताव दिया जा सकेगा।

7. संशोधन : इस नियम के परिवर्धन, संशोधन एवं निरसन का अधिकार विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद् को होगा।
8. लेखाकरण: इस निधि के लेखाकरण एवं संचालन की विधियाँ अन्य निधियों के समरूप ही होंगी।
9. पूर्व से संचालित स्थायी निधि (Endowment Fund) इस विनियम के प्रभाव में आने की तिथि से इसके प्रावधानों के अंतर्गत ही संचालित होगी।
10. निधि के संचालन हेतु निर्मित विनियम के स्पष्टीकरण का अधिकार कुलसचिव, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के पास सुरक्षित रहेगा।

आदेशानुसार,




14.09.20
कुलसचिव

रायपुर, दिनांक : 15/09/2020

पृ. क्रमांक : 239 / अका./2020

प्रतिलिपि :

01. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी.-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर।
02. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
03. प्राचार्य, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय,
04. समस्त विभाग प्रमुख, विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन,
05. उ.कु.स. परीक्षा/उ.कु.स. गोपनीय/विकास/उ.कु.स. सामान्य प्रशासन/वित्त नियंत्रक,
06. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

दूरभाष : 0771-2262802 (अकादमिक), 0771-2262540 (कुलसचिव), E-mail ID- academicprsu2@gmail.com

क्रमांक : 967 / अका. / 2023

रायपुर, दिनांक : 11/01/2023

॥ अधिसूचना ॥

विद्यापरिषद् कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 05.01.2023 के पूरक विषय सूची के निर्णय क्रमांक 4 में नवीन विनियम क्रमांक-184-B 'मानव संसाधन विकास केंद्र कायिक निधि' का अनुमोदन किया गया है, जो निम्नांकित है -

विनियम क्रमांक-184-B

'मानव संसाधन विकास केंद्र कायिक निधि'

- क्षेत्र** - इस विनियम का प्रभाव क्षेत्र विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग (UTD) होगा।
- मद** - इस कायिक निधि का एक बैंक खाता होगा जो मानव संसाधन विभाग केंद्र कायिक निधि खाता होगा।
- उद्देश्य** -
1. इस निधि का उपयोग विभाग के माध्यम से शिक्षकों की क्षमता विकास हेतु, शोध परिचर्चा, सेमिनार एवं कांफ्रेंस के लिए किया जावेगा।
 2. मानव संसाधन विकास केंद्र कायिक निधि से प्रतिवर्ष प्राप्त ब्याज का 50 प्रतिशत ही उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जायेगा।
- निधि** - इस कायिक निधि में राशि की व्यवस्था निम्न रितियों से की जावेगी -
01. कुलपति
 02. निदेशक
 03. मानव संसाधन विकास केंद्र के वरिष्ठ शिक्षक
 04. कुलसचिव
 05. वित्त नियंत्रक
- निधि का परिचालन** - निधि खाते का परिचालन मानव संसाधन विकास केंद्र के निदेशक के द्वारा किया जाएगा। इस हेतु कुलपति का अनुमोदन अनिवार्य होगा।
- संशोधन एवं निरसन** - इस निधि के विनियम के प्रावधान में परिवर्तन, संशोधन एवं निरसन का अधिकार विश्वविद्यालय का होगा।

आदेशानुसार,

S. Patel
11/1/23
कुलसचिव

पृ. क्रमांक : 968 /अका./2023

रायपुर, दिनांक : 11 /01/2023

प्रतिलिपि :-

01. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के अवर सचिव, छत्तीसगढ़ राजभवन, रायपुर
02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
03. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
04. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-3, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
05. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/प्राचार्य, संबद्ध समस्त महाविद्यालय,
06. समस्त विभागीय अधिकारी,
07. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप-कुलसचिव (अका.)